



RAJASTHAN JUDICIAL SERVICE MAINS EXAMINATION - MOCK TEST (12-08-2024)

Question 01

[03 Marks]

Explain the theory of "last seen" in the company of the deceased.

‘मृतक की कंपनी’ में “आखिरी बार देखा गया” के सिद्धांत की व्याख्या करें।

Linked provision - Section 7 Facts which are occasion, cause or effect of the fact in issue

Section 7 of the Indian evidence act states that, facts which are the occasion, cause or effect of relevant facts or facts in issue, or which constitute the state of things under which they happened, or which afforded an opportunity for their occurrence or transaction, are relevant.

Section 106: It places the burden of proof on the accused when certain facts are especially within their knowledge.

In a criminal case based on circumstantial evidence, evidence of deceased and accused were last seen together, is one of most relevant circumstance. However, it is settled legal proposition that the circumstance of last seen together cannot by itself form the basis of holding accused guilty of offence. If there is any credible evidence that just before or immediately prior to the death of the victims, they were last seen along with the accused at or near about the place of occurrence, the needle of suspicion would certainly point to the accused being the culprits and this would be one of the strong factors or circumstances inculcating them with the alleged crime purported on the victims.

However, if the last seen evidence does not inspire the confidence or is not trust worthy, there can be no conviction. To constitute the last seen together factor as an incriminating circumstance, there must be close proximity between the time of seeing and recovery of dead body.

In the case of Kanhaiya Lal v. State of Rajasthan (2014):

The SC held that the circumstance of last seen together does not by itself and necessarily lead to the inference that it was the accused who committed the crime. The Court said that there must be something more to establish the connectivity.

लिंकिंग प्रावधान - धारा 7 तथ्य जो विवादक तथ्य का प्रसंग, हेतुक या परिणाम हैं।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 7 में कहा गया है कि, वे तथ्य जो सुसंगत तथ्यों या विवादक तथ्यों का प्रसंग, हेतुक या परिणाम हैं, या जो उन चीजों की स्थिति का गठन करते हैं जिनके तहत वे घटित हुए, या जो उनकी घटना या संव्यवहार के लिए अवसर प्रदान करते हैं, सुसंगत हैं।

धारा 106: यह अभियुक्त पर सबूत का भार डालता है जब कुछ तथ्य विशेष रूप से उनके ज्ञान में होते हैं।

परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर किसी आपराधिक मामले में मृतक और आरोपी के साक्ष्य को आखिरी बार एक साथ देखा जाना सबसे सुसंगत परिस्थितियों में से एक है। हालाँकि, यह स्थापित विधिक प्रस्ताव है कि आखिरी बार एक साथ देखे जाने की परिस्थिति ही आरोपियों को अपराध का दोषी ठहराने का आधार नहीं बन सकती है। यदि कोई विश्वसनीय साक्ष्य है कि पीड़ितों की मृत्यु से ठीक पहले या ठीक पहले, उन्हें आखिरी बार आरोपियों के साथ घटना स्थल पर या उसके आसपास देखा गया था, तो संदेह की सुई निश्चित रूप से आरोपियों की ओर ही इशारा करेगी और यह पीड़ितों पर कथित अपराध में उन्हें शामिल करने वाले मजबूत कारकों या परिस्थितियों में से एक होगा।

हालाँकि, यदि अंतिम बार देखा गया साक्ष्य विश्वास को प्रेरित नहीं करता है या विश्वास के योग्य नहीं है, तो कोई दोषसिद्धि नहीं हो सकती है। अंतिम बार एक साथ देखे जाने को एक निर्णायक परिस्थिति के रूप में गठित करने के लिए, देखने के समय और शव की बरामदगी के बीच निकटता होनी चाहिए।

कन्हैया लाल बनाम राजस्थान राज्य (2014) के मामले में:

सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि आखिरी बार एक साथ देखे जाने की परिस्थिति अपने आप में यह निष्कर्ष नहीं निकालती है कि यह आरोपी ही था जिसने अपराध किया था। न्यायालय ने कहा कि संयोजकता स्थापित करने के लिए कुछ और होना चाहिए

Question 02

[05 Marks]

A and Z agrees to fence with each other for amusement. This agreement implies the consent of each to suffer any harm which, in course of such fencing, may be caused without foul play. A while playing fairly hurts Z. Has A committed any offence? Explain which section applies to current situation and why?

A और Z मनोरंजन के लिए एक दूसरे के साथ असिक्लीडा के लिए सहमत होते हैं। इस करार का अर्थ है कि ऐसी असिक्लीडा के दौरान होने वाली किसी भी चोट को बिना किसी बेईमानी के झेलने के लिए प्रत्येक की सहमति। A खेलते समय Z को काफी उपहती पहुँचाता है। क्या A ने कोई अपराध किया है? बताएं कि कौन सी धारा वर्तमान स्थिति पर लागू होती है और क्यों?

Linked provisions: Section 87-Act not intended and not known to be likely to cause death or G.H., done by consent

The above situation is covered under section 87 of Indian penal code.





Section 87 of the Indian Penal Code, 1860 provides defence for certain games such as fencing, boxing, football, etc. This section says that any act which causes harm except the act intended to cause death or grievous hurt and which is not in the knowledge of the doer to be likely to cause death or grievous hurt is not an offence if it is done with the consent of a person who is above 18 years of age. The consent may be given in any manner, express or implied.

This section is based on the maxim "volenti non-fit injuria", which means he who consents suffers no harm. In other words, if a person gives consent for an event that may cause harm to him with his own will, he accepts to suffer the harm. He can not make the other person liable for it.

Here in the above case A and Z agrees to fence each other for amusement. There is no forced act done by any of the parties, therefore free consent to suffer any harm. A while playing fairly hurts Z. In such a case A has committed no offence.

लिकिंग प्रावधान: धारा 87-सहमति से किया गया कार्य जिसका आशय नहीं है और यह ज्ञात नहीं है कि मृत्यु या घोर उपहती कारित करने की संभावना है।

उपरोक्त स्थिति भारतीय दंड संहिता की धारा 87 के अंतर्गत आती है।

भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 87 कुछ खेलों जैसे तलवारबाजी, मुक्केबाजी, फुटबॉल आदि के लिए प्रतिरक्षा प्रदान करती है। यह धारा कहती है कि कोई भी कार्य जो अपहानि पहुंचाता है सिवाय उस कार्य के जिसका उद्देश्य मृत्यु या घोर उपहती कारित करना है और जो ज्ञात नहीं है। कर्ता द्वारा मृत्यु या घोर उपहती कारित करने की संभावना होना कोई अपराध नहीं है यदि यह 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति की सहमति से किया गया हो। सहमति व्यक्ति या निहित किसी भी तरीके से दी जा सकती है।

यह धारा "वोलेंटी नॉन-फिट इंजुरिया" कहावत पर आधारित है, जिसका अर्थ है कि जो सहमति देता है उसे कोई अपहानि नहीं होती है। दूसरे शब्दों में, यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी ऐसी घटना के लिए सहमति देता है जिससे उसे अपहानि हो सकती है, तो वह अपहानि सहना स्वीकार करता है। वह दूसरे व्यक्ति को इसके लिए उत्तरदायी नहीं बना सकता।

यहां उपरोक्त मामले में A और Z मनोरंजन के लिए एक-दूसरे से लड़ने के लिए सहमत हैं। किसी भी पक्ष द्वारा कोई जबरन कार्य नहीं किया गया है, इसलिए कोई भी अपहानि उठाने के लिए स्वतंत्र सहमति है। खेलते समय A, Z को काफी चोट पहुंचाता है। ऐसे मामले में A ने कोई अपराध नहीं किया है।

Question 03

[03 Marks]

Difference between Anticipatory bail and regular bail.

अग्रिम जमानत और नियमित जमानत के बीच अंतर कीजिये।

Linked provisions:

Section 436: In which case bail to be taken

Section 438: Direction for grant of bail to person apprehending arrest

- There is no need for a First Information Report (FIR) to be filed against a person to make an application for anticipatory bail. When a person anticipates the reasonable grounds that exist for his arrest, he will be able to apply for anticipatory bail even before lodging an FIR.
A person has the right to apply for anticipatory bail even after lodging an FIR but only before the arrest is made. Once a person is arrested, it is compulsory to move an application for regular bail or interim bail as the case may be.
On the other hand, regular bail is bail that is granted by the Court to a person after he has been arrested. When any person commits a cognizable (offences for which police can arrest without a warrant) and non-bailable offence the police will take him into custody. After the termination of the period of police custody if any, the accused must be sent to Jail. Under sections 437 and 439 of Cr.P.C., such an accused has a right to be released from custody.
- Bail provisions are covered in Sections 436 and 437 of the Criminal Procedure Code (Cr. P.C.), while Section 438 pertains to anticipatory bail.
- In the past, the Act of 1898 did not include provision for anticipatory bail. It is a relatively new concept introduced in the 1973 Code of Criminal Procedure.
- Bail can be granted to accused individuals by Judicial Magistrates or Courts. However, anticipatory bail can only be granted by the High Court or Sessions Court.
- Bail and anticipatory bail are both legal processes related to arrest. where Bail is granted after a person has been arrested, Anticipatory bail, on the other hand, is a legal process that occurs before a person is arrested. It's sought in anticipation of the possibility of arrest.





Bail is usually granted as a matter of right for bailable offences. It is worth noting that under Section 437 of the Criminal Procedure Code, there is a possibility of considering bail even for non-bailable offences. However, while granting anticipatory bail, the court must do so cautiously and sparingly, as it is an exceptional authority.

लिकिंग प्रावधान:

धारा 436: किस मामले में जमानत ली जाए

धारा 438: गिरफ्तारी की आशंका वाले व्यक्ति को जमानत देने का निर्देश

- अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करने के लिए किसी व्यक्ति के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब कोई व्यक्ति अपनी गिरफ्तारी के लिए मौजूद उचित आधारों का अनुमान लगाता है, तो वह FIR दर्ज करने से पहले ही अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकेगा।
किसी व्यक्ति को FIR दर्ज करने के बाद भी अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करने का अधिकार है, लेकिन केवल गिरफ्तारी से पहले। एक बार जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो उसे नियमित जमानत या अंतरिम जमानत, जैसा भी मामला हो, के लिए आवेदन देना अनिवार्य है।
दूसरी ओर, नियमित जमानत वह जमानत है जो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार होने के बाद न्यायालय द्वारा दी जाती है। जब कोई व्यक्ति संज्ञेय (ऐसे अपराध जिनमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है) और अजमानतीय अपराध करता है तो पुलिस उसे अभिरक्षा में ले लेगी। पुलिस अभिरक्षा की अवधि यदि कोई हो, समाप्त होने के बाद आरोपी को जेल भेजा जाना चाहिए। CrPC की धारा 437 और 439 के तहत ऐसे आरोपी को अभिरक्षा से रिहा होने का अधिकार है।
- जमानत प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 436 और 437 में शामिल हैं, जबकि धारा 438 अग्रिम जमानत से संबंधित है।
- पूर्व में 1898 के अधिनियम में अग्रिम जमानत का प्रावधान शामिल नहीं था। यह 1973 की दंड प्रक्रिया संहिता में पेश की गई एक अपेक्षाकृत नई अवधारणा है।
- न्यायिक मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा आरोपी व्यक्तियों को जमानत दी जा सकती है। हालाँकि, अग्रिम जमानत केवल उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय द्वारा ही दी जा सकती है।
- जमानत और अग्रिम जमानत दोनों गिरफ्तारी से संबंधित विधिक प्रक्रियाएं हैं। जहां किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद जमानत दी जाती है, वहीं दूसरी ओर अग्रिम जमानत एक विधिक प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी से पहले होती है। गिरफ्तारी की संभावना की आशंका में इसकी तलाश की गई है।
जमानती अपराधों के लिए जमानत आमतौर पर अधिकार के तौर पर दी जाती है। गौरतलब है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437 के तहत अजमानतीय अपराधों के लिए भी जमानत पर विचार किए जाने की संभावना है। हालाँकि, अग्रिम जमानत देते समय, न्यायालय को सावधानी और संयम से ऐसा करना चाहिए, क्योंकि यह एक असाधारण अधिकार है।

Question 04

[05 Marks]

X, a teacher in a public school at Delhi assaulted Y, a second standard student with a wooden stick. It resulted in an injury to her left eye. Despite treatment and surgery, there was loss of eyesight. Y's father lodged FIR after 25 days. What is the nature of the offence committed by X?

दिल्ली के एक पब्लिक स्कूल में शिक्षक X ने दूसरी कक्षा के छात्र Y पर लकड़ी की छड़ी से हमला किया। इससे उसकी बाईं आंख पर चोट लग गई। इलाज और सर्जरी के बावजूद आंखों की रोशनी चली गई। Y के पिता ने 25 दिन बाद FIR दर्ज कराई। X द्वारा किये गये अपराध की प्रकृति क्या है?

"Link the Life with Law"

All Judiciary Exam

LINKING PAPERATHON BOOKLETS

Unique Features of Paperathon Booklet

- Subject-wise presentation with weightage analysis table
- Covered Last Previous Years Papers
- Linked Provision
- Diglot Q&A (English + Hindi)
- Explanation (English + Hindi)
- QR Code for Paper Solution Free Videos
- QR Code for Free Videos Lectures for All Judiciary & Law Exams



Paperathon Covered States

[Click Here To Buy Linking Publication](#)

LINKING CHARTS



Major Laws Linking Chart



Alpha Minor Amendment Linking Chart

LINKING BARE ACTS



Criminal Major Laws Linking Bare Acts



Linking Publication (E-PDF) is now available at LINKING APP



Tansukh Paliwal (Linking Sir)



Scan this QR Code to install the Linking App and get Full PDF of study material

Linking Laws
Linking Laws Tansukh Sir
www.LinkingLaws.com
[Get Subscription Now](#)



Linked provisions: Section 320 –Grievous hurt

Section 319: hurt

The above case falls under section 320, eighth category, of Indian Penal Code which defines "Grievous Hurt" which states that any hurt which engages life or which causes the sufferer to be during the space of twenty days in severe bodily pain or unable to follow his ordinary pursuits".

Section 319 of the Indian Penal Code specifies hurt as "bodily pain, disease or infirmity" caused to one person by another. Section 320 specifies what constitutes grievous hurt. A hurt in Order to amount to grievous hurt must come under any of the clauses of section 320 of the Indian Penal Code; else the hurt will be simple. A person cannot therefore be said to cause grievous hurt unless the hurt caused is one of the clauses specified above.

In the present case, 'X' a teacher in a public school assaulted 'Y', a second standard student with a wooden stick. It resulted in an injury to her left eye. Despite treatment and surgery, was loss of eyesight. As such X committed offence of for causing grievous hurt by dangerous weapon and means punishable under section 326 of the Indian Penal Code. Delay of 25 days in lodging FIR by 'Y's father, does not affect in maintain criminal liability.

लिंकिंग प्रावधान: धारा 320-घोर उपहती

धारा 319 : उपहती कारित करना

उपरोक्त मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 320, आठवीं श्रेणी के अंतर्गत आता है, जो "घोर उपहती" को परिभाषित करता है, जिसमें कहा गया है कि कोई भी उपहती जो जीवन को अस्त-व्यस्त कर देती है या जिसके कारण पीड़ित को बीस दिनों तक गंभीर शारीरिक पीड़ा होती है या वह अपनी सामान्य गतिविधियों का पालन करने में असमर्थ हो जाता है।"

भारतीय दंड संहिता की धारा 319 उपहती को एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को पहुंचाई गई "शारीरिक पीड़ा, बीमारी या दुर्बलता" के रूप में निर्दिष्ट करती है। धारा 320 निर्दिष्ट करती है कि घोर उपहती क्या है। घोर उपहती की श्रेणी में आने वाली उपहती को भारतीय दंड संहिता की धारा 320 के किसी भी खंड के अंतर्गत आना चाहिए; अन्यथा उपहती साधारण होगी। इसलिए किसी व्यक्ति को घोर उपहती कारित करने वाला नहीं कहा जा सकता जब तक कि उपहती ऊपर निर्दिष्ट धाराओं में से एक न हो।

वर्तमान मामले में, एक पब्लिक स्कूल में एक शिक्षक 'X' ने दूसरी कक्षा के छात्र 'Y' पर लकड़ी की छड़ी से हमला किया। इससे उसकी बाईं आंख पर चोट लग गई। इलाज और सर्जरी के बावजूद आंखों की रोशनी चली गई। इस प्रकार X ने खतरनाक हथियार से घोर उपहती पहुंचाने का अपराध किया है और यह भारतीय दंड संहिता की धारा 326 के तहत दंडनीय है। 'Y' के पिता द्वारा FIR दर्ज करने में 25 दिनों की देरी से आपराधिक दायित्व बनाए रखने पर कोई असर नहीं पड़ता है।

Question 05

[06 Marks]

Discuss the provisions of Code of criminal procedure regarding the proceedings taken against any person under section 125.

धारा 125 के अंतर्गत किसी व्यक्ति के विरुद्ध की गई कार्यवाही के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों पर चर्चा करें।

Linked provisions: Section 125: order for maintenance of wives, children and parents

section 126: Procedure

Section 128: enforcement

Section 125 of Cr.PC deals with "Order for maintenance of wives, children and parents". According to Section 125(1), the following persons can claim and get maintenance:

- Wife from his husband,
- Legitimate or illegitimate minor child from his father,
- Legitimate or illegitimate minor child (physical or mental abnormality) from his father, and
- Father or mother from his son or daughter.

A person seeking maintenance may submit an application to a Magistrate in any of the following places, according to Section 126 of the CrPC:

Section 126 of Cr.PC deals with "Procedure for maintenance". A person seeking maintenance may submit an application to a Magistrate in any of the following places, according to Section 126 of the CrPC:

- Where he is, or
- Where he or his wife resides, or
- Where he last resided with his wife or mother of an illegitimate child.
- Evidence to be taken in the presence of a person against whom maintenance is to be ordered.
- If a person is wilfully avoiding summons, then ex-parte evidence is taken in that case.





Enforcement of maintenance order

In the case that any person thus ordered fails to comply with the order without good reason, any such Magistrate may issue a warrant for the collection of the sum due in the manner indicated for collecting fines. The magistrate has the power to hold the offender in custody for a maximum of one month or until the debt is paid, whichever occurs first.

Any magistrate in any location where the person against whom the order is made may carry out such an order after being satisfied with the parties' names and the non-payment of the allowance or, as the case may be, costs, due.

लिंकिंग प्रावधान: धारा 125: पत्नियों, बच्चों और माता-पिता के भरण-पोषण के लिए आदेश

धारा 126: प्रक्रिया

धारा 128: प्रवर्तन

CrPC की धारा 125 "पत्नियों, बच्चों और माता-पिता के भरण-पोषण के आदेश" से संबंधित है। धारा 125(1) के अनुसार, निम्नलिखित व्यक्ति दावा कर सकते हैं और भरण-पोषण प्राप्त कर सकते हैं:

- पत्नी अपने पति से,
- अपने पिता से वैध या अधर्मज अव्यस्क बच्चा,
- अपने पिता से वैध या अधर्मज अव्यस्क बच्चा (शारीरिक या मानसिक असामान्यता), और
- पिता या माता अपने बेटे या बेटी से।

CrPC की धारा 126 के अनुसार, भरण-पोषण की मांग करने वाला व्यक्ति निम्नलिखित में से किसी भी स्थान पर मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकता है:

CrPC की धारा 126 "भरण-पोषण की प्रक्रिया" से संबंधित है। CrPC की धारा 126 के अनुसार, भरण-पोषण की मांग करने वाला व्यक्ति निम्नलिखित में से किसी भी स्थान पर मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकता है:

- वह जहाँ रहता है, या
- वह या उसकी पत्नी जहाँ रहती है, या
- जहाँ वह आखिरी बार अपनी पत्नी या अधर्मज बच्चे की मां के साथ रहता था।
- साक्ष्य उस व्यक्ति की उपस्थिति में लिया जाना चाहिए जिसके विरुद्ध भरण-पोषण का आदेश दिया जाना है।
- यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर समन से बच रहा है तो उस स्थिति में एक पक्षीय साक्ष्य लिया जाता है।

भरण-पोषण आदेश का प्रवर्तन

यदि इस प्रकार आदेश दिया गया कोई भी व्यक्ति बिना उचित कारण के आदेश का पालन करने में विफल रहता है, तो ऐसा कोई भी मजिस्ट्रेट जुर्माना वसूलने के लिए बताए गए तरीके से देय राशि की वसूली के लिए वारंट जारी कर सकता है। मजिस्ट्रेट के पास अपराधी को अधिकतम एक महीने तक या कर्ज का भुगतान होने तक, जो भी पहले हो, अभिरक्षा में रखने की शक्ति है।

किसी भी स्थान पर कोई भी मजिस्ट्रेट, जहाँ जिस व्यक्ति के खिलाफ आदेश दिया गया है, वह पक्षकारों के नाम और भत्ते के असंदाय या, जैसा भी मामला हो, खर्च जो देय हो, से संतुष्ट होने के बाद ऐसा आदेश दे सकता है।

Question 06

[03 Marks]

Write the Fundamental rights under constitution of India.

भारत के संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार लिखिए।

Linked provision: Part 3 of Constitution of India

In the Indian Constitution, the fundamental rights are enshrined in Part III of the Indian Constitution and categorized into six heads:

1. Right to equality from Articles 14 to 18;
2. Right to freedom from Articles 19 to 22;
3. Right against exploitation from Articles 23 and 24;
4. Right to freedom of religion from Articles 25 to 28;
5. Cultural and educational rights from Articles 29 and 30;
6. The right to constitutional remedies is governed by Articles 32 to 35.

लिंकिंग प्रावधान: भारत के संविधान का भाग 3

भारतीय संविधान में, मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान के भाग III में निहित किया गया है और छह प्रमुखों में वर्गीकृत किया गया है:

1. अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार;
2. अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार;
3. अनुच्छेद 23 और 24 से शोषण के विरुद्ध अधिकार;





4. अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार;
5. अनुच्छेद 29 और 30 से सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार;
6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से 35 द्वारा शासित होता है।

Question 07

[06 Marks]

Write the composition of Child welfare Committee. Also write its functions. What will be effect of non-compliance of the order of the committee?

बाल कल्याण समिति की संरचना लिखिए। इसके कार्य भी लिखिए। समिति के आदेश का पालन नहीं करने पर क्या असर होगा?

Linked provisions: Section 27: Child welfare committee

Section 30: Functions and responsibility of committee

Composition of child welfare committee:

- Each child welfare committee in a district of India should have :
 1. a chairperson and four members
 2. each committee should have a three-year term
 3. One of the members should be an expert on issues relating to women and children.
- The Functions and Responsibilities of the Child Welfare Committee are mentioned in Section 30 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015. Few functions and responsibilities are listed below:
- Cognizance of children that are produced before it. Children who are neglected can be produced before this committee.
- Conducting inquiry on issues relating to and affecting the safety and well being of the children under this Act.
- To direct the Child Welfare Officers, District Child Protection Unit and Non- Governmental organizations for social investigation and also to submit a report before the Committee.
- To conduct an inquiry for the declaration of fit persons for the care of children in need of care and protection.
- To direct placing of a child in a foster care facility.
- To ensure care, protection, restoration and appropriate rehabilitation of those children that are in need of care and protection. This is based on that child's individual care plan. It also includes the passing of necessary directions to parents or guardians or the people who are fit or children's homes or fit facilities in this regard.
- To select a registered institution for the placement of every child that requires support which is based on that child's gender, age, disability and needs. This should be done by keeping in mind the available capacity of the institution.
- To recommend action that is for the improvement in the quality of services provided to the District Child Protection Unit and the Government of a State.
- To certify the performance of the surrender deed by the parents and to make sure that they are given time to think about their decision as well as to make a reconsideration to keep the family together.
- To make sure that all the efforts are made for the restoration of the lost or abandoned children to their families by following due process which is prescribed by the Act.
- To declare children legally free for adoption after due inquiry who are orphans, abandoned and surrendered.
- To take suo moto cognizance of cases and also to reach out to the children who are in need of care and protection.
- To take action against the rehabilitation of children who are abused sexually and are reported as children in need of protection and care from the Committee, by the Special Juvenile Police Unit or the local police as the case may be.
- To deal with cases referred by the Board under sub-section (2) of 17 of this Act.





- To coordinate with various departments that are involved in the care and protection of children. These departments include the police, the labour department and other agencies.
- To conduct an inquiry and give directions to the police or the District Child Protection Unit in case of a complaint of abuse of a child.
- To access appropriate legal services for the children.
- To perform such other functions and responsibilities as may be prescribed.

The CWC should immediately inform the police regarding the person who has allegedly committed an offence against the minor in the custody of the home.

- In the event of physical, sexual or emotional abuse in the institution, the CWC should immediately report the incident to the officer-in-charge under the Secretary, DWCD.
- The CWC must order a special investigation of the abuse.
- The CWC should instruct the local police station to file an FIR and conduct necessary investigations. 4. CWC may seek the support of DCPS.
- The CWC may seek assistance from relevant voluntary organizations, legal experts, child rights experts, mental health experts or crisis intervention centres for the care and protection of the child and prosecution of the perpetrator.
- The child should be transferred to another institution or a place of safety or to a fit person, if required.

लिंगिंग प्रावधान: धारा 27: बाल कल्याण समिति

धारा 30: समिति के कार्य एवं उत्तरदायित्व

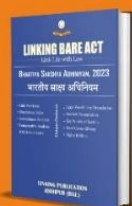
बाल कल्याण समिति की संरचना:

- भारत के प्रत्येक जिले में एक बाल कल्याण समिति के पास होना चाहिए:
 - एक अध्यक्ष और चार सदस्य
 - प्रत्येक समिति का कार्यकाल तीन वर्ष का होना चाहिए
 - सदस्यों में से एक को महिलाओं और बच्चों से संबंधित मुद्दों का विशेषज्ञ होना चाहिए।
- बाल कल्याण समिति के कार्यों और जिम्मेदारियों का उल्लेख किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 30 में किया गया है। कुछ कार्य और जिम्मेदारियां नीचे सूचीबद्ध हैं:
- इसके सामने पेश किए गए बच्चों का संज्ञान। उपेक्षित बच्चों को इस समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है।
- इस अधिनियम के तहत बच्चों की सुरक्षा और भलाई से संबंधित और उन्हें प्रभावित करने वाले मुद्दों पर जांच करना।
- बाल कल्याण अधिकारियों, जिला बाल संरक्षण इकाई और गैर-सरकारी संगठनों को सामाजिक जांच के लिए निर्देशित करना और समिति के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
- देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों की देखभाल के लिए उपयुक्त व्यक्तियों की घोषणा के लिए जांच करना।
- किसी बच्चे को पालन-पोषण देखभाल सुविधा में रखने का निर्देश देना।
- उन बच्चों की देखभाल, सुरक्षा, बहाली और उचित पुनर्वास सुनिश्चित करना जिन्हें देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता है। यह उस बच्चे की व्यक्तिगत देखभाल योजना पर आधारित है। इसमें इस संबंध में माता-पिता या अभिभावकों या योग्य लोगों या बच्चों के घरों या अच्छी सुविधाओं को आवश्यक दिशा-निर्देश पारित करना भी शामिल है।
- प्रत्येक बच्चे के पुनर्वास के लिए एक पंजीकृत संस्थान का चयन करना जिसके लिए सहायता की आवश्यकता होती है जो उस बच्चे के लिंग, आयु, विकलांगता और जरूरतों पर आधारित होती है। ऐसा संस्थान की उपलब्ध क्षमता को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए।



Linking Bare Act

- Diglot Edition
- Legal Vocabulary
- Comparison Table
- Comparative Index
- Linked Provision
- Illustration Table



Linking Publications « Paperathon Booklet
For Other Info Please Call

7737746465

Buy Now



Scan this QR Code to
install the Linking App
and get Full PDF of
study material

Linking Laws
Linking Laws Tansukh Sir
www.LinkingLaws.com
Get Subscription Now



- जिला बाल संरक्षण इकाई और राज्य सरकार को प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए कार्रवाई की सिफारिश करना।
 - माता-पिता द्वारा समर्पण विलेख के निष्पादन को प्रमाणित करना और यह सुनिश्चित करना कि उन्हें अपने निर्णय के बारे में सोचने के साथ-साथ परिवार को एकजुट रखने के लिए पुनर्विचार करने का समय दिया जाए।
 - यह सुनिश्चित करना कि अधिनियम द्वारा निर्धारित उचित प्रक्रिया का पालन करके खोए हुए या परित्यक्त बच्चों को उनके परिवारों में वापस लाने के लिए सभी प्रयास किए जाएं।
 - अनाथ, परित्यक्त और आत्मसमर्पण करने वाले बच्चों को उचित जांच के बाद गोद लेने के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित करना।
 - मामलों का स्वतः संज्ञान लेना और उन बच्चों तक पहुंचना जिन्हें देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता है।
 - उन बच्चों के पुनर्वास के खिलाफ कार्रवाई करना, जिनके साथ लैंगिक दुर्व्यवहार किया जाता है और जिन्हें समिति की ओर से सुरक्षा और देखभाल की आवश्यकता वाले बच्चों के रूप में रिपोर्ट किया जाता है, विशेष किशोर पुलिस इकाई या स्थानीय पुलिस, जैसा भी मामला हो, द्वारा कार्रवाई की जाती है।
 - इस अधिनियम की 17 की उप-धारा (2) के तहत बोर्ड द्वारा संदर्भित मामलों से निपटना।
 - बच्चों की देखभाल और सुरक्षा में शामिल विभिन्न विभागों के साथ समन्वय करना। इन विभागों में पुलिस, श्रम विभाग और अन्य एजेंसियां शामिल हैं।
 - किसी बच्चे के साथ दुर्व्यवहार की शिकायत होने पर जांच करना और पुलिस या जिला बाल संरक्षण इकाई को निर्देश देना।
 - बच्चों के लिए उचित विधिक सेवाओं तक पहुंच बनाना।
 - ऐसे अन्य कार्य और जिम्मेदारियां निभाना जो निर्धारित किए जाएं।
- बाल कल्याण समिति को उस व्यक्ति के बारे में तुरंत पुलिस को सूचित करना चाहिए जिसने कथित तौर पर घर की अभिरक्षा में अव्यस्क के खिलाफ अपराध किया है।
1. संस्था में शारीरिक, लैंगिक या भावनात्मक शोषण की स्थिति में, बाल कल्याण समिति को तुरंत घटना की रिपोर्ट सचिव, DWCD के अधीन प्रभारी अधिकारी को देनी चाहिए।
 2. बाल कल्याण समिति को दुर्व्यवहार की विशेष जांच का आदेश देना चाहिए।
 3. बाल कल्याण समिति को स्थानीय पुलिस स्टेशन को FIR दर्ज करने और आवश्यक जांच करने का निर्देश देना चाहिए।
 4. बाल कल्याण समिति DCPS का सहयोग ले सकती है।
 5. बाल कल्याण समिति बच्चे की देखभाल और सुरक्षा और अपराधी पर मुकदमा चलाने के लिए सुसंगत स्वैच्छिक संगठनों, विधिक विशेषज्ञों, बाल अधिकार विशेषज्ञों, मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों या संकट हस्तक्षेप केंद्रों से सहायता ले सकती है।
 6. यदि आवश्यक हो तो बच्चे को किसी अन्य संस्थान या सुरक्षित स्थान या किसी उपयुक्त व्यक्ति के पास स्थानांतरित किया जाना चाहिए।

Question 08

[06 Marks]

Who is an agent under Indian contract act? What are the rights of an agent ? when agency may be terminated ?

भारतीय संविदा अधिनियम के तहत अभिकर्ता कौन है? एक अभिकर्ता के क्या अधिकार हैं? अभिकरण कब समाप्त की जा सकती है?

Linked provisions: Section 182: Agent and principal defined

Section 201: Termination of agency

Section 182 of the Indian Contract Act, 1872 defines "agent" and "principle".

An "agent" is a person employed to do any act for another, or to represent another in dealings with third persons.

Rights of an Agent

- Right to claim reimbursement for expenses-
an agent had the right to retain, out of the money received on behalf of the principal, money advance or expenses properly incurred in conducting the agency business.
- Right to receive remuneration-
an agent also has a right to claim remuneration as may be payable to him for acting as an agent.
- Right to Compensation-
entitles the agent to compensation in the event of any injury or loss he suffers because a principal lacks skill or competency.
- Right of Lien-
where the agent is not paid lawful charges, remunerations, or expenses by his principal and the goods are under his control. He can keep the goods until the principal pays the lawful charges.





Termination of Agency

Section 201 of the act, 1872 describes the various modes of termination of agency.

☐ Termination of agency by act of the parties: -

Agreement

- The relation of principal and agent, like any other agreement, may be terminated at any time and at any stage by the mutual agreement between the principal and the agent.

Revocation by principal

- 1872 the principal may revoke the authority of the agent at any time before the agent has exercised his authority so as to bind the principal unless the agency is irrevocable.

Renunciation by agent

- An agent is entitled to renounce his power by refusing to act or by notifying the principal that he will not act for the principal.
- ☐ Termination of agency by operation of law-

Performance of the contract-

- Where the agency is for a particular object, it is terminated when the object is accomplished or when the accomplishment of the object becomes impossible.

Expiry of time-

- When the agent is appointed for a fixed period of time, the agency comes to an end after the expiry of that time even if the work is not complete.

Death and insanity-

- When the agent or the principal dies or becomes of unsound mind, the agency is terminated.

Insolvency-

- The insolvency of the agent, it is accepted, also terminate the agency unless the acts to be done by the agent are merely formal acts.
- o Destructions of subject matter-
- An agency which is created to deal with a certain subject-matter comes to an end by the destruction of the subject-matter.
- o Principal and Agent becoming Alien company-
- The contract of agency is valid so long as the countries of the principal and the agent are at peace. If war breaks out between the two countries, the contract of agency is terminated.
- o Dissolution of a company-
- When a company is dissolved, the contract of agency with or by the company automatically comes to an end.

लिंगिंग प्रावधान: धारा 182: अभिकर्ता और मालिक परिभाषित

धारा 201: अभिकरण की समाप्ति

भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 182 "अभिकर्ता" और "मालिक" को परिभाषित करती है।

"अभिकर्ता" वह व्यक्ति होता है जिसे किसी दूसरे के लिए कोई कार्य करने के लिए या तीसरे व्यक्ति के साथ व्यवहार में दूसरे का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया जाता है।

एक अभिकर्ता के अधिकार

- ☐ खर्चों की प्रतिपूर्ति का दावा करने का अधिकार-
एक अभिकर्ता को मालिक की ओर से प्राप्त धन में से, अभिकरण व्यवसाय के संचालन में उचित रूप से किए गए अग्रिम धन या खर्च को अपने पास रखने का अधिकार होता है।
- ☐ पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार-
एक अभिकर्ता को उस पारिश्रमिक का दावा करने का भी अधिकार है जो उसे अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए देय हो सकता है।
- ☐ प्रतिकर का अधिकार-
किसी भी चोट या हानि की स्थिति में अभिकर्ता को प्रतिकर का अधिकार देता है क्योंकि मालिक में कौशल या योग्यता का अभाव होता है।
- ☐ पुनर्ग्रहणाधिकार का अधिकार-
जहां अभिकर्ता को उसके मालिक द्वारा वैध शुल्क, पारिश्रमिक या खर्च का भुगतान नहीं किया जाता है और माल उसके नियंत्रण में है। वह तब तक माल अपने पास रख सकता है जब तक कि मालिक वैध शुल्क का भुगतान नहीं कर देता।

अभिकरण की समाप्ति





अधिनियम, 1872 की धारा 201 अभिकरण की समाप्ति के विभिन्न तरीकों का वर्णन करती है।

□ पक्षकारों के कार्य द्वारा अभिकरण की समाप्ति:-

करार

- किसी भी अन्य करार की तरह, मालिक और अभिकर्ता का रिश्ता, मालिक और अभिकर्ता के बीच आपसी करार से किसी भी समय और किसी भी स्तर पर समाप्त किया जा सकता है।

मालिक द्वारा निरस्तीकरण

- 1872 मालिक अभिकर्ता के अधिकार का प्रयोग करने से पहले किसी भी समय अभिकर्ता के अधिकार को रद्द कर सकता है ताकि मालिक को बाध्य किया जा सके जब तक कि अभिकरण अपरिवर्तनीय न हो।

अभिकर्ता द्वारा त्याग

- एक अभिकर्ता कार्य करने से इनकार करके या मालिक को यह सूचित करके अपनी शक्ति त्यागने का हकदार है कि वह मालिक के लिए कार्य नहीं करेगा।

□ विधि के संचालन द्वारा अभिकरण की समाप्ति-

संविदा का निष्पादन-

- जहां अभिकरण किसी विशेष उद्देश्य के लिए होती है, वहां उद्देश्य पूरा हो जाने पर या लक्ष्य पूरा होना असंभव हो जाने पर उसे समाप्त कर दिया जाता है।

समय की समाप्ति-

- जब अभिकर्ता को एक निश्चित अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है, तो उस समय की समाप्ति के बाद अभिकरण समाप्त हो जाती है, भले ही काम पूरा न हो।

मृत्यु और पागलपन-

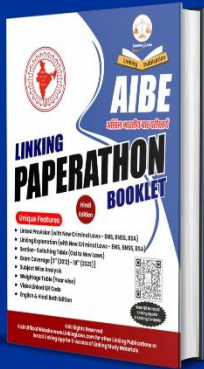
- जब अभिकर्ता या मालिक की मृत्यु हो जाती है या वह मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाता है, तो अभिकरण समाप्त कर दी जाती है।

दिवालिया-

- यह स्वीकार किया जाता है कि अभिकर्ता के दिवालिया होने पर अभिकरण भी समाप्त हो जाती है जब तक कि अभिकर्ता द्वारा किए जाने वाले कार्य केवल औपचारिक कार्य न हों।
- विषय वस्तु का विनाश-
- एक अभिकरण जो एक निश्चित विषय-वस्तु से निपटने के लिए बनाई गई है, विषय-वस्तु के नष्ट होने से समाप्त हो जाती है।
- मालिक और अभिकर्ता के विदेशी कंपनी बन जाने पर-
- अभिकरण का संविदा तब तक वैध है जब तक मालिक और अभिकर्ता के देश शांति में हैं। यदि दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ जाता है तो अभिकरण की संविदा को समाप्त कर दिया जाता है।
- किसी कंपनी का विघटन-
- जब कोई कंपनी भंग हो जाती है, तो कंपनी के साथ या कंपनी द्वारा अभिकरण की संविदा स्वतः समाप्त हो जाती है।



All India Bar Examination Paperathon



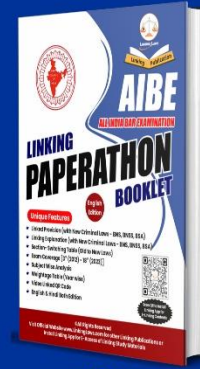
HINDI

Edition Unique Features

- **Linked Provision**
(with New Criminal Laws - BNS, BNSS, BSA)
- **Linked Explanation**
(with New Criminal Laws - BNS, BNSS, BSA)
- **Section- Switching Table (Old to New Laws)**
- **Exam Coverage [3rd (2012) - 18th (2023)]**
- **Weightage Table (Year wise)**
- **English & Hindi Both Edition**
- **Subject Wise Analysis**
- **Video Linked QR Code**

ORDER NOW

Linking Publications « Paperathon Booklet
For Other Info Please Call
7737746465



ENGLISH



Scan this QR Code to
install the Linking App
and get Full PDF of
study material

📞 🌐 📱 📧
Linking Laws
Linking Laws Tansukh Sir
www.LinkingLaws.com
Get Subscription Now



Question 09

[03 Marks]

Explain the Doctrine of confirmation by subsequent facts.

पश्चातवर्ती तथ्यों द्वारा पुष्टिकरण के सिद्धांत की व्याख्या करें।

Answer: - The notion of confirmation by subsequent evidence forms the foundation of Section 27 of the Evidence Act, 1872. This theory is premised on the idea that if any fact is found as a result of the information given by an accused person, then such discovery of fact serves as a confirmation that the information provided by the accused is accurate. According to the notion of confirmation by subsequent facts, statements made while under arrest are admissible to the extent that they can be supported by the facts later discovered.

Section 27 has the follow ingredients:

- This section deals with how much information received from accused may be proved.
- It states that when any fact is deposed to as discovered in consequence of information received from a person accused of any offence, in the custody of a police-officer, so much of such information, whether it amounts to a confession or not, as relates distinctly to the fact thereby discovered, may be proved.
- This section is based on the doctrine of confirmation by subsequent events - a fact is actually discovered as a consequence of the information given, which results in recovery of a physical object.

The Court relied on the judgment delivered by the Supreme Court in the case of *Mohmed Inayatullah v. State of Maharashtra* (1976) elucidating Section 27 of the IEA.

- o It has been held that the first condition imposed and necessary for bringing the section into operation is the discovery of a fact which should be a relevant fact in consequence of information received from a person accused of an offence.
- o The second is that the discovery of such a fact must be deposed to. A fact already known to the police will fall foul and not meet this condition.
- o The third is that at the time of receipt of the information, the accused must be in police custody.
- o Lastly, it is only so much information which relates distinctly to the fact thereby discovered resulting in recovery of a physical object which is admissible.

पश्चातवर्ती साक्ष्यों द्वारा पुष्टि की अवधारणा साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27 की नींव बनाती है। यह सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि यदि किसी आरोपी व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी के परिणामस्वरूप कोई तथ्य पाया जाता है, तो तथ्य की ऐसी खोज यह इस बात की पुष्टि के रूप में कार्य करता है कि अभियुक्त द्वारा प्रदान की गई जानकारी सटीक है। पश्चातवर्ती तथ्यों द्वारा पुष्टि की अवधारणा के अनुसार, गिरफ्तारी के दौरान दिए गए कथन इस हद तक स्वीकार्य हैं कि बाद में खोजे गए तथ्यों द्वारा उनका समर्थन किया जा सके।

धारा 27 में निम्नलिखित तत्व हैं:

- यह धारा इस बात से संबंधित है कि आरोपी से प्राप्त कितनी जानकारी साबित की जा सकती है।
- इसमें कहा गया है कि जब किसी पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति से प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप किसी भी तथ्य की खोज की जाती है, तो ऐसी बहुत सी जानकारी, चाहे वह संस्वीकृति के बराबर हो या नहीं, इस प्रकार खोजे गए तथ्य से स्पष्ट रूप से संबंधित है, साबित किया जा सकता है।
- यह खंड पश्चातवर्ती घटनाओं द्वारा पुष्टि के सिद्धांत पर आधारित है - वास्तव में दी गई जानकारी के परिणामस्वरूप एक तथ्य की खोज की जाती है, जिसके परिणामस्वरूप एक भौतिक वस्तु की पुनर्प्राप्ति होती है।

न्यायालय ने **मोहम्मद इनायतुल्ला बनाम महाराष्ट्र राज्य (1976)** के मामले में IEA की धारा 27 को स्पष्ट करते हुए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले पर भरोसा किया।

- o यह माना गया है कि धारा को अमल में लाने के लिए लगाई गई और आवश्यक पहली शर्त एक तथ्य की खोज है जो किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति से प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप एक सुसंगत तथ्य होना चाहिए।
- o दूसरा यह है कि इस तरह के तथ्य की खोज को उजागर किया जाना चाहिए। पुलिस को पहले से ज्ञात तथ्य गलत साबित होगा और इस शर्त को पूरा नहीं करेगा।
- o तीसरा यह है कि सूचना प्राप्त होने के समय आरोपी पुलिस अभिरक्षा में होना चाहिए।
- o अंत में, यह केवल इतनी ही जानकारी है जो स्पष्ट रूप से उस तथ्य से संबंधित है जिसके परिणामस्वरूप किसी भौतिक वस्तु की बरामदगी हुई है जो स्वीकार्य है।

Question 10

[04 Marks]

In what circumstances the accused can move an application for recording his confessional statement under section 164 of Code of Criminal procedure?

किन परिस्थितियों में अभियुक्त दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत अपना संस्वीकृति कथन अभिलिखित करने के लिए आवेदन दायर कर सकता है?





Linked provision: Section 164 Recording of confession and statement

If the Magistrate does not know that he is concerned in a case for which investigation has been commenced under the provisions of Chapter XII it is not permissible for him to record the confession. If any person simply barges into the Court and demands the Magistrate to record his confession as he has committed a cognizable offence, the course open to the Magistrate is to inform the police about it.

The police in turn have to take the steps envisaged in Chapter XII of the Code. It may be possible for the Magistrate to record a confession if he has reason to believe that investigation has commenced and that the person who appeared before him demanding recording of his confession in such case. Otherwise the Court of a Magistrate is not a place into which all the sundry can gatecrash and demand the Magistrate to record whatever he says as self-incriminatory.

In Mahabir Singh v. State of Haryana, SC 2503 it was held that an accused person can appear before a Magistrate for recording his confession. It is not necessary that such accused should be produced by the police for recording the confession. But it is necessary that such appearance must be "in the course of an investigation" under Chapter XII of the Code.

लिंकिंग प्रावधान: धारा 164 संस्वीकृति और कथन का अभिलेखन

यदि मजिस्ट्रेट को यह नहीं पता है कि वह उस मामले में संबद्ध है जिसके लिए अध्याय XII के प्रावधानों के तहत अन्वेषण शुरू किया गया है तो उसके लिए कथन अभिलिखित करना स्वीकार्य नहीं है। यदि कोई व्यक्ति न्यायालय में घुस जाता है और मजिस्ट्रेट से उसकी संस्वीकृति अभिलिखित करने की मांग करता है क्योंकि उसने एक संज्ञेय अपराध किया है, तो मजिस्ट्रेट के लिए खुला रास्ता यह है कि वह पुलिस को इसके बारे में सूचित करे।

बदले में पुलिस को संहिता के अध्याय XII में परिकल्पित कदम उठाने होंगे। मजिस्ट्रेट के लिए संस्वीकृति अभिलिखित करना संभव हो सकता है यदि उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि अन्वेषण शुरू हो गया है और जो व्यक्ति उसके सामने पेश हुआ है वह ऐसे मामले में अपनी संस्वीकृति अभिलिखित करने की मांग कर रहा है। अन्यथा मजिस्ट्रेट के न्यायालय कोई ऐसी जगह नहीं है जहां सभी लोग प्रवेश कर सकें और मजिस्ट्रेट से यह मांग कर सकें कि वह जो कुछ भी कहता है उसे आत्म-दोषारोपण के रूप में दर्ज करें।

महावीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य, एससी 2503 में यह माना गया था कि एक आरोपी व्यक्ति अपनी संस्वीकृति अभिलिखित करने के लिए मजिस्ट्रेट के सामने पेश हो सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि ऐसे अभियुक्तों को पुलिस द्वारा संस्वीकृति अभिलिखित करने के लिए प्रस्तुत किया जाए। लेकिन यह आवश्यक है कि ऐसी उपस्थिति संहिता के अध्याय XII के तहत "अन्वेषण के दौरान" होनी चाहिए।

Question 11

[05 Marks]

What is a suit? Explain the essentials for instituting a suit.

वाद क्या है? एक वाद संस्थित करने के लिए आवश्यक बातें बताएं।

Linked provision: Order 4

A suit is a proceeding by which an individual pursues that remedy which the law affords. It is a civil proceeding instituted by the presentation of a plaint.

Essentials of a Suit

□ The Opposing Parties:

- o In every suit there must be at least one plaintiff and one defendant.
- o There may be more than one plaintiff and more than one defendant where an act or transaction proceeds from two or more persons or it affects two or more persons.

□ The Cause of Action:

- o Every suit must contain the cause of action which refers to the cause or the set of circumstances which leads up to a suit.
 - It consists of every fact which is necessary to be proved to entitle the plaintiff to a decree.
- o In Rajasthan High Court Advocates Association v. Union of India & Ors. (2000), the SC held that the term cause of action had a judicially established meaning. It refers to the conditions surrounding the violation of the right or the direct cause of the conduct.

□ The Subject Matter:

- o It is the right or property claimed in the suit.
- o The court adjudicates upon the right of the parties with regard to the subject matter in a dispute.

□ The Relief Claimed:

- o The relief claimed should be stated specifically in the plaint. It may be stated in the alternative also.
- o The relief claimed must be one which the Court is able to grant.





- o When a person is entitled to more than one relief in respect of the same cause of action, he must sue for all reliefs.

लिकिंग प्रावधान: आदेश 4

वाद एक कार्यवाही है जिसके द्वारा एक व्यक्ति उस उपाय का अनुसरण करता है जो विधि प्रदान करता है। यह एक वादपत्र की प्रस्तुति द्वारा शुरू की गई एक सिविल कार्यवाही है।

एक वाद की अनिवार्यताएँ

❑ विरोधी दल:

- प्रत्येक वाद में कम से कम एक वादी और एक प्रतिवादी होना चाहिए।
- एक से अधिक वादी और एक से अधिक प्रतिवादी हो सकते हैं जहां कोई कार्य या संव्यवहार दो या दो से अधिक व्यक्तियों से होता है या यह दो या दो से अधिक व्यक्तियों को प्रभावित करता है।

❑ वाद हेतुक:

- प्रत्येक वाद में वाद हेतुक शामिल होना चाहिए जो कारण या परिस्थितियों के समूह को संदर्भित करता है जो वाद की ओर ले जाता है।
 - इसमें हर वह तथ्य शामिल है जिसे वादी को डिफेंडी का अधिकार देने के लिए साबित किया जाना आवश्यक है।
- राजस्थान उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ बनाम भारत संघ एवं अन्य (2000) में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि वाद हेतुक शब्द का न्यायिक रूप से स्थापित अर्थ है। यह अधिकार के उल्लंघन या आचरण के प्रत्यक्ष कारण से संबंधित स्थितियों को संदर्भित करता है।

❑ विषय वस्तु:

- यह वाद में दावा किया गया अधिकार या संपत्ति है।
- न्यायालय किसी विवाद में विषय वस्तु के संबंध में पक्षों के अधिकार पर निर्णय देता है।

❑ अनुतोष का दावा:

- दावा की गई अनुतोष को वादपत्र में विशेष रूप से बताया जाना चाहिए। इसे विकल्प में भी कहा जा सकता है।
- दावा की गई अनुतोष ऐसी होनी चाहिए जिसे न्यायालय देने में सक्षम हो।
- जब कोई व्यक्ति एक ही वाद हेतुक के संबंध में एक से अधिक अनुतोष का हकदार है, तो उसे सभी अनुतोष के लिए वाद करना होगा।

Question 12

[06 Marks]

Explain with example, What remedy is available to any party in case of any order passed against to him

I. When such order is appealable

II. When such order is non-appealable

उदाहरण सहित स्पष्ट करें कि किसी भी पक्ष के विरुद्ध कोई आदेश पारित होने की स्थिति में उसके पास क्या उपाय उपलब्ध है

I. जब ऐसा आदेश अपील योग्य हो

II. जब ऐसा आदेश अपील योग्य न हो

I. When such order is appealable / जब ऐसा आदेश अपील योग्य हो

Linked provision: Section 104: Order from which appeal lies

Section 105: other orders

Section 106: what courts to hear appeals

Appeal from order is a procedure where, if either of the party to the civil suit is not satisfied with the order passed by the court they can take their grievance to a higher court. Appeal from order is covered under order 43 and under section 104-106 of the Code of Civil Procedure, 1908.

Section 104:

Orders which can be appealed

- Order passed under CPC or any other law having provisions for such appeals can be appealed.
- Compensatory costs in respect of false or vexatious claims or defense under section 35A of CPC can be appealed.
- Refusal for instituting a suit referred under section 91 CPC (Public Nuisance) and under section 92 CPC (Public Charity) can be appealed.
- When a party suffers from arrest, attachment or injunction on insufficient grounds and court orders the other party to pay compensation for the same under section 95 CPC. The other party can appeal such order.
- An order under this code imposing a fine, or directing the arrest or detention in civil prison of any person can be appealed but if such arrest or detention is in execution of decree, no appeal is allowed.





- Appeal of order can be made, but appeal for the reduction of the amount payable by the party as compensation cannot be made.
- Further, no appeal shall lie from the order already passed but not appealed.

Section 105:

- Any order made by the court under its original or appellate jurisdiction cannot be appealed.
- But if the order is appealed from any error, defect, or irregularity in any order affecting a person's decision, then there can be an appeal for such orders.
- When a remand order is given and it is not appealed at that particular time, then it cannot be appealed later when any other order is made from such remand.

Section 106:

This section talks about which court can hear such appeal. The court system/ hierarchy followed in appeal from decree will be followed here.

लिंकिंग प्रावधान: धारा 104: आदेश जिसके आधार पर अपील की जा सकती है

धारा 105: अन्य आदेश

धारा 106: कौन से न्यायालय अपील सुनेंगे

आदेश से अपील एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें यदि सिविल वाद का कोई भी पक्ष न्यायालय द्वारा पारित आदेश से संतुष्ट नहीं है, तो वे अपनी शिकायत को उच्च न्यायालय में ले जा सकते हैं। आदेश से अपील आदेश 43 और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 104-106 के अंतर्गत आती है।

धारा 104:

जिन आदेशों के विरुद्ध अपील की जा सकती है

- CPC या ऐसी अपील के प्रावधान वाले किसी अन्य विधि के तहत पारित आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकती है।
- CPC की धारा 35-क के तहत मिथ्या या तंग करने वाले दावों या बचाव के संबंध में प्रतिपूरक खर्च के विरुद्ध अपील की जा सकती है।
- धारा 91 CPC (लोक न्यूसेंस) और धारा 92 CPC (लोक दान) के तहत संदर्भित वाद शुरू करने से इनकार करने पर अपील की जा सकती है।
- जब एक पक्ष अपर्याप्त आधार पर गिरफ्तारी, कुर्की या व्यादेश से पीड़ित होता है और न्यायालय दूसरे पक्ष को धारा 95 CPC के तहत प्रतिकर देने का आदेश देती है। दूसरा पक्ष ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील कर सकता है।
- इस संहिता के तहत जुर्माना लगाने, या किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी या सिविल जेल में निरोध में रखने का निर्देश देने वाले आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकती है, लेकिन अगर ऐसी गिरफ्तारी या निरोध डिक्री के निष्पादन में है, तो किसी भी अपील की अनुमति नहीं है।
- आदेश की अपील की जा सकती है, लेकिन पक्ष द्वारा प्रतिकर के रूप में देय राशि को कम करने की अपील नहीं की जा सकती।
- इसके अलावा, पहले से पारित लेकिन अपील न किए गए आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जाएगी।

धारा 105:

- न्यायालय द्वारा उसके मूल या अपीलीय क्षेत्राधिकार के तहत दिए गए किसी भी आदेश के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती।
- लेकिन यदि किसी आदेश में किसी व्यक्ति के निर्णय को प्रभावित करने वाली किसी त्रुटि, दोष या अनियमितता के कारण अपील की जाती है, तो ऐसे आदेशों के लिए अपील की जा सकती है।
- जब कोई रिमांड आदेश दिया जाता है और उस विशेष समय पर इसकी अपील नहीं की जाती है, तो बाद में जब ऐसे रिमांड से कोई अन्य आदेश दिया जाता है, तो इसकी अपील नहीं की जा सकती है।

धारा 106:

यह धारा बताती है कि कौन से न्यायालय ऐसी अपील सुन सकते हैं। डिक्री की अपील में अपनाई जाने वाली न्यायालय प्रणाली/पदानुक्रम का यहां पालन किया जाएगा।

II. When such order is non-appealable / जब ऐसा आदेश अपील योग्य न हो

Linked provision: Order 47 – review

Section 114: review

Such a case when order is non appealable are covered under Order 47 of code of civil procedure which is referred as review.

Judicial review enables a person to enforce his right that might have been overlooked by the administrative organs or the courts. In the process of judicial review, the court will not look into the merits, but into the law of the act. If it finds contravention to any dominant law at the time of review then it would set the decision aside.

The objective behind this procedure is to make review a tool to ensure complete justice and to enforce the fundamental rights of an individual. The purpose is to have a check over the working of the legislature, in order to check the constitutionality or legality of the laws made by them. Another objective behind this law is to rectify the legal errors made while delivering the verdicts.



What are the grounds of review cases?

- Discovery of new evidence- When of new evidence or matter which is substantial to the case and was not in the cognizance of the concerned person, then that person can successfully apply for review. However, the burden of proof lies on the concerned person to prove that at the time of the verdict he was completely unaware of the fact or evidence that could have an influence in the decision making.
- Error on the face of record- The prima facie error that looks pretty conspicuous without a legal analysis of the judgment can only be taken into account for review under this ground. The error or mistake could either be a mistake in law or a mistake in fact.
- Other sufficient reason- This ground of review has given a very wide coverage of the reviewing process. The mere fact that the court ignored an important fact will not make a valid point under this ground.

लिकिंग प्रावधान: आदेश 47 - पुनर्विलोकन

धारा 114: पुनर्विलोकन

ऐसे मामले जब आदेश अपील योग्य नहीं है, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 47 के अंतर्गत आते हैं जिसे पुनर्विलोकन कहा जाता है।

न्यायिक पुनर्विलोकन किसी व्यक्ति को अपने उस अधिकार को लागू करने में सक्षम बनाता है जिसे प्रशासनिक अंगों या न्यायालयों द्वारा अनदेखा किया गया हो। न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रक्रिया में, न्यायालय गुण-दोष पर नहीं, बल्कि अधिनियम की विधि पर गौर करेगा। यदि पुनर्विलोकन के समय उसे किसी प्रमुख विधि का उल्लंघन मिलता है तो वह निर्णय को अपास्त कर देगा।

इस प्रक्रिया के पीछे का उद्देश्य पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने और किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए पुनर्विलोकन को एक उपकरण बनाना है। इसका उद्देश्य विधायिका के कामकाज पर नियंत्रण रखना है, ताकि उनके द्वारा बनाए गए कानूनों की संवैधानिकता या वैधानिकता की जांच की जा सके.. इस विधि के पीछे एक और उद्देश्य निर्णय सुनाते समय होने वाली विधिक त्रुटियों को सुधारना है।

पुनर्विलोकन मामलों के आधार क्या हैं?

- नए साक्ष्य की खोज- जब नए साक्ष्य या मामले का पता चलता है जो मामले के लिए महत्वपूर्ण है और संबंधित व्यक्ति के संज्ञान में नहीं था, तो वह व्यक्ति पुनर्विलोकन के लिए सफलतापूर्वक आवेदन कर सकता है। हालाँकि, सबूत का भार संबंधित व्यक्ति पर होता है कि वह यह साबित करे कि निर्णय के समय वह उस तथ्य या साक्ष्य से पूरी तरह से अनजान था जो निर्णय लेने में प्रभाव डाल सकता है।
- अभिलेख के आधार पर त्रुटि- प्रथम दृष्टया त्रुटि जो निर्णय के विधिक विश्लेषण के बिना काफी स्पष्ट दिखती है, उसे केवल इस आधार पर पुनर्विलोकन के लिए ध्यान में रखा जा सकता है। त्रुटि या भूल या तो विधि की भूल हो सकती है या तथ्य की भूल हो सकती है।
- अन्य पर्याप्त कारण- पुनर्विलोकन के इस आधार ने पुनर्विलोकन प्रक्रिया को बहुत व्यापक क्षेत्र दिया है। केवल यह तथ्य कि न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअंदाज कर दिया, इस आधार पर कोई वैध बात नहीं बनेगी।

Question 13

[06 Marks]

Explain how suit may be instituted against any public servant for his act under official duty? Write the manner in which notice under section 80 of code of civil procedure is served to a public servant?

बताएं कि सरकारी कर्तव्य के तहत किए गए कार्य के लिए किसी लोक सेवक के विरुद्ध कैसे वाद संस्थित किया जा सकता है? सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 के अंतर्गत किसी लोक सेवक को सूचना किस प्रकार दी जाती है, वह लिखें?

Linked provisions: Section 80 -Notice

Order 27: Suit by or against the government or public officers in their official capacity

Sections 79-82 and Order 27 of the Code of Civil Procedure, 1908. It deal with the procedure which needs to be followed in the process of filing of a suit against the government or public officials. Code of civil procedures prescribes only the procedures

- The first step in the process of filing of suit in this case is service of notice to the defendant. Section 80 of the Code of Civil Procedure, 1908. It states that only after the expiry of two months from the date of service of notice to the government officials, a plaint can be filed in the Court of law.
- Whenever the case is against the central government, and it does not relate to the railways then, the notice should be delivered to the secretary of the government.
- Whenever a case has been instituted against the central government and it relates to the railways then, the notice is to be served to the general manager of that railways.
- Whenever the case is instituted against any of the state governments then, the notice is to be served either to the secretary to that government or to the collector of the district.

Section 80 of the Code of Civil Procedure, 1908. It also states the contents of the notice which should be served to the government of the public official. The most essential contents of the notice should have the name,



description, place of residence of the plaintiff and the cause of action and the relief sought. The service of the notice should be delivered to the office of the concerned person or served directly to him.

After the expiry of two months if the aggrieved party wishes to file the suit in the Court of law, he or she would need to produce a written statement which should state the way in which the notice was served. The service of the notice has a strict application and is mandatory process. It should be done expressly and not impliedly. The Supreme Court had held so in the case of State of A.P. v. Gundugola Venkata and also expressed that if proper service of the notice does not happen then the suit would entail a dismissal.

लिंगिंग प्रावधान: धारा 80-सूचना

आदेश 27: सरकार या लोक अधिकारियों द्वारा उनकी आधिकारिक क्षमता में या उनके विरुद्ध वाद

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 79-82 और आदेश 27। यह उस प्रक्रिया से संबंधित है जिसका सरकार या लोक अधिकारियों के खिलाफ वाद दायर करने की प्रक्रिया में पालन किया जाना आवश्यक है। सिविल प्रक्रिया संहिता केवल प्रक्रियाओं को निर्धारित करती है

- इस मामले में वाद दायर करने की प्रक्रिया में पहला कदम प्रतिवादी को सूचना की तामील है। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 80। इसमें कहा गया है कि सरकारी अधिकारियों को सूचना की तामील की तारीख से दो महीने की समाप्ति के बाद ही, न्यायालय में वाद दायर किया जा सकता है।
- जब भी मामला केंद्र सरकार के खिलाफ हो और रेलवे से संबंधित न हो तो सूचना सरकार के सचिव को पहुंचानी चाहिए।
- जब भी कोई मामला केंद्र सरकार के खिलाफ स्थापित किया गया है और वह रेलवे से संबंधित है, तो उस रेलवे के महाप्रबंधक को सूचना दी जानी चाहिए।
- जब भी किसी राज्य सरकार के खिलाफ मामला शुरू किया जाता है, तो सूचना या तो उस सरकार के सचिव या जिले के कलेक्टर को भेजी जाती है।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 80 में सूचना की अंतर्वस्तु भी बताई गई है जिसे लोक अधिकारी की सरकार को भेजा जाना चाहिए। सूचना की सबसे आवश्यक अंतर्वस्तु में वादी का नाम, विवरण, निवास स्थान और वाद हेतुक और मांगी गई अनुतोष शामिल होनी चाहिए। सूचना की तामील संबंधित व्यक्ति के कार्यालय तक पहुंचाई जानी चाहिए या सीधे उसे तामील कराई जानी चाहिए।

दो महीने की समाप्ति के बाद यदि पीड़ित पक्ष न्यायालय में वाद दायर करना चाहता है, तो उसे एक लिखित कथन पेश करना होगा जिसमें यह बताना होगा कि सूचना किस तरह से दी गई थी। सूचना की तामील एक सख्त आवेदन है और अनिवार्य प्रक्रिया है। यह स्पष्ट रूप से किया जाना चाहिए न कि परोक्ष रूप से। सर्वोच्च न्यायालय ने ए.पी. राज्य बनाम गुंडुगोला वेंकट के मामले में ऐसा माना था और यह भी कहा था कि यदि सूचना की उचित तामील नहीं हुई तो वाद बर्खास्तगी का होगा।

Question 14

[04 Marks]

Who may obtain specific performance under section 15 of specific relief act?

विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 15 के तहत विनिर्दिष्ट पालन कौन प्राप्त कर सकता है?



LINKING PAPERATHON BOOKLETS

Linking Charts & Paperathon Booklet














Buy Now



Scan this QR Code to
install the **Linking App**
and get Full PDF of
study material


Linking Laws
 [Linking Laws Tansukh Sir](#)
 www.LinkingLaws.com
 [Get Subscription Now](#)



Linked provision: Section 15 Who may obtain specific performance

According to section 15 of the Specific Relief Act, 1963, specific performance of a contract may be obtained by:

1. any party;
2. the principle or the representative in interest, of any party;
3. any beneficiary is entitled to specific performance if the contract involves a marital settlement or a compromise of disputed rights between members of the same family.
4. if a tenant for life has entered into a contract in the due exercise of a power, the remainderman;
5. a reversioner in possession, if an agreement is a covenant entered into with his predecessor in title and the reversioner is entitled to the benefit of such covenant;
6. if an agreement is a covenant and the reversioner suffers material injury in case of breach of contract, then reversioner in remainder will be entitled to the benefit.
- 6A. when a limited liability partnership has entered into a contract and subsequently becomes amalgamated with another limited liability partnership, the new limited liability partnership arises out of the amalgamation.
7. if a company merges with another company under the terms of a contract, the new company will form as a result of the merger (amalgamation).
8. if the promoters of a company entered into a contract before for the company's purposes before its incorporation and such contract is warranted by the terms of the incorporation, the company has to accepted that contract and communicated such acceptance to the other party of the contract.

लिंकिंग प्रावधान: धारा 15 विनिर्दिष्ट पालन कौन प्राप्त कर सकता है।

विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 15 के अनुसार, किसी संविदा का विनिर्दिष्ट पालन निम्न द्वारा प्राप्त किया जा सकता है:

1. कोई भी पक्ष;
2. किसी पक्ष का मालिक या हित में प्रतिनिधि;
3. यदि संविदा में वैवाहिक करार या एक ही परिवार के सदस्यों के बीच विवादित अधिकारों का करार शामिल है तो कोई भी लाभार्थी विनिर्दिष्ट पालन का हकदार है।
4. यदि एक किरायेदार ने जीवन भर के लिए किसी शक्ति के उचित प्रयोग में एक संविदा में प्रवेश किया है, तो शेष व्यक्ति;
5. कब्जे में एक प्रत्यावर्तक, यदि एक करार एक संविदा है जो स्वत्व में उसके पूर्ववर्ती के साथ दर्ज किया गया है और प्रत्यावर्तनकर्ता ऐसी प्रसंविदा के लाभ का हकदार है;
6. यदि कोई करार एक प्रसंविदा है और संविदा के उल्लंघन के मामले में प्रत्यावर्तनकर्ता को भौतिक क्षति होती है, तो शेष में प्रत्यावर्तनकर्ता लाभ का हकदार होगा।
- 6A. जब एक सीमित देयता साझेदारी एक संविदा में प्रवेश करती है और बाद में किसी अन्य सीमित देयता साझेदारी के साथ समामेलित हो जाती है, तो नई सीमित देयता साझेदारी समामेलन से उत्पन्न होती है।
7. यदि किसी कंपनी की संविदा की शर्तों के तहत किसी अन्य कंपनी में विलय हो जाता है, तो विलय (एकीकरण) के परिणामस्वरूप नई कंपनी द्वारा
8. यदि किसी कंपनी के प्रवर्तकों ने निगमन से पहले कंपनी के प्रयोजनों के लिए कोई संविदा किया है और ऐसा संविदा निगमन की शर्तों के अनुसार आवश्यक है, तो कंपनी को उस संविदा को स्वीकार करना होगा और संविदा के दूसरे पक्ष को ऐसी स्वीकृति के बारे में सूचित करना होगा।

"Link the Life with Law"

All Judiciary Exam

Question 15

[04 Marks]

Briefly discuss the power of court to impose compensatory cost in respect of false or vexatious claims or defences under the Code of Civil Procedure, 1908.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत मिथ्या या तंग करने वाले दावों या प्रतिरक्षा के संबंध में प्रतिपूरक खर्च लगाने की न्यायालय की शक्ति पर संक्षेप में चर्चा करें।

Linked provision: section 35A Compensatory cost in respect of false or vexatious claims or defences

Compensatory Costs in a civil suit are dealt with under Sections 35A of the Civil Procedure Code ('CPC') along with Order XXA of CPC.

- Compensatory costs Sec. 35A- 35A provides for compensatory costs. This sec. is an exception to the general rule.

This section is intended to deal with those case in which sec. 35 does not afford sufficient compensation in the opinion of the court.

Under this provision if the court satisfied that the litigation was inspired by vexatious motive and altogether groundless, it can take different action.





Conditions: the following conditions must exist before this section can be applied:

- The claim or defence must be false or vexatious.
- The objections must have been taken by the other party that the claim or defence was false or vexatious to the knowledge of the party raising it, and
- Such claim must have disallowed or withdrawn or abandoned in whole or in part. Maximum amount awarded is Rs. 3000/- and this section apply only to suits and not to appeal or to revisions.
- It empower the court to impose compensatory costs on the parties who are responsible for causing delay at any stage of the litigation.

Such cost would be irrespective of ultimate outcome of litigation. Concerned in a plaintiff and the defence is a defendant.

On the following ground the costs may be awarded for delay:

If a party to the suit:

- Fail to take the step which he was required by or under the code to take on that date, or
- Obtains an adjournment for taking such step or for producing evidence or any other ground, the court may order such party to pay to other party the costs.

लिकिंग प्रावधान: धारा 35ए मिथ्या या तंग करने वाले दावों या प्रतिरक्षा के संबंध में प्रतिपूरक खर्चें

सिविल वाद में प्रतिपूरक खर्चों को CPC के आदेश XXA के साथ सिविल प्रक्रिया संहिता ('CPC') की धारा 35-क के तहत निपटाया जाता है।

- प्रतिपूरक लागत धारा 35-क- 35-क प्रतिपूरक खर्चों का प्रावधान करती है। यह धारा सामान्य नियम का अपवाद है।

इस धारा का उद्देश्य उन मामलों से निपटना है जिनमें धारा 35 न्यायालय की राय में पर्याप्त प्रतिकर का प्रावधान नहीं करती है।

इस प्रावधान के तहत यदि न्यायालय संतुष्ट हो जाता है कि वाद द्वेषपूर्ण उद्देश्य से प्रेरित है और पूरी तरह निराधार है, तो वह अलग कार्रवाई कर सकता है।

शर्तें: इस धारा को लागू करने से पहले निम्नलिखित शर्तें मौजूद होनी चाहिए:

- दावा या प्रतिरक्षा मिथ्या या तंग करने वाला होना चाहिए।
- यह आपत्ति दूसरे पक्ष द्वारा की गई होगी कि दावा या प्रतिरक्षा इसे उठाने वाले पक्ष की जानकारी में मिथ्या या तंग करने वाला था, और
- ऐसा दावा पूरी तरह या आंशिक रूप से अस्वीकृत या वापस ले लिया गया होगा या छोड़ दिया गया होगा। दी जाने वाली अधिकतम राशि 3000/- रुपये है और यह धारा केवल वादों पर लागू होती है, अपील या पुनरीक्षण पर नहीं।
- यह न्यायालय को उन पक्षों पर प्रतिपूरक खर्चें लगाने का अधिकार देता है जो मुकदमेबाजी के किसी भी चरण में विलंब के लिए जिम्मेदार हैं।

ऐसे खर्चें वादी से संबंधित मुकदमे के अंतिम परिणाम के बावजूद होगा और बचाव पक्ष एक प्रतिवादी है।

निम्नलिखित आधार पर विलंब के लिए जुर्माना लगाया जा सकता है:

यदि कोई पक्ष वाद के लिए:

- उस तारीख को संहिता के तहत या उसके तहत जो कदम उठाने की आवश्यकता थी, उसे उठाने में असफल होना, या
- ऐसा कदम उठाने या साक्ष्य या कोई अन्य आधार पेश करने के लिए स्थगन प्राप्त करता है, तो न्यायालय ऐसे पक्ष को दूसरे पक्ष को खर्चों का भुगतान करने का आदेश दे सकता है।

Question 16

[05 Marks]

State the consequences of mistakes and errors to frame or absence of charge in criminal procedure code 1973?

दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में आरोप विचरित करने या आरोप न लगाने में भूल और त्रुटियों के परिणाम बताएं?

Linked section: Section 464: effect of omission to frame or absence of or error in charge

The section states that no order or decision given by the competent jurisdiction shall be held invalid merely on grounds that no charge was framed or that the charge frame was based on errors, omission, irregularity or other sorts, unless the competent jurisdiction is of the opinion that such a mistake would lead to a failure of justice.

However, if the court is of the opinion that any such mistakes were made, then the court would order the framing of a new charge and would order the trial to be recommenced from that point immediately after the framing of charges or direct for a new trial based on the new charge framed.

Provided that if the court is of the opinion that the facts of the case are such that no valid charge could be preferred against the accused, the conviction shall be quashed.

In the case of *Bharwad Mepa Dena and Anr. vs. The State of Bombay* (1959), the Supreme Court held that any mere error, omission or irregularity in the charge will not invalidate the finding as a matter of law in the absence of prejudice to the convicted person.





लिकिंग प्रावधान: धारा 464: आरोप विचरित करने में भूल या अनुपस्थिति या त्रुटि का प्रभाव

धारा में कहा गया है कि सक्षम क्षेत्राधिकार द्वारा दिया गया कोई भी आदेश या निर्णय केवल इस आधार पर अमान्य नहीं माना जाएगा कि कोई आरोप तय नहीं किया गया था या तय किया गया आरोप त्रुटियों, लोप, अनियमितता या अन्य प्रकार पर आधारित था, जब तक कि सक्षम क्षेत्राधिकार की राय न हो कि ऐसी गलती से न्याय विफल हो जाएगा।

हालाँकि, यदि न्यायालय की राय है कि ऐसी कोई भूल हुई है, तो न्यायालय एक नया आरोप तय करने का आदेश देगा और आरोप तय होने के तुरंत बाद उस बिंदु से विचारण फिर से शुरू करने का आदेश देगा या तय किए गए नए आरोप के आधार पर नए विचारण का निर्देश देगा।

बशर्त कि यदि न्यायालय की राय है कि मामले के तथ्य ऐसे हैं कि आरोपी के खिलाफ कोई वैध आरोप नहीं लगाया जा सकता है, तो दोषसिद्धि रद्द कर दी जाएगी।

भरवाड मेपा देना और अन्य बनाम बॉम्बे राज्य (1959) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि आरोप में कोई भी त्रुटि, लोप या अनियमितता दोषी व्यक्ति के प्रति पूर्वाग्रह के अभाव में विधि के मामले में निष्कर्ष को अमान्य नहीं करेगी।

Question 17

[06 Marks]

Explain high court power as to

(1) writ jurisdiction

(2) Inherent Power under Procedure law.

Whether Res-judicata applies to writ proceeding?

उच्च न्यायालय की शक्तियों की व्याख्या करें

(1) रिट क्षेत्राधिकार

(2) प्रक्रियात्मक विधि के तहत अंतर्निहित शक्तियाँ।

क्या प्राङ्गन्याय रिट कार्यवाही पर लागू होता है?

1. High court power as to writ jurisdiction

Linked provisions: Article 226 power of high court to issue certain writ

The jurisdiction of the High Courts have also been provided in Article 226 of the Constitution, and they can be divided into two part:

Territorial

The High Courts have the right to issue writs within the territory of the state which the High Court is concerned with. Under Article 226(2) the court has been granted a certain degree of extra-territorial jurisdiction as well. High Courts are allowed to issue writs to any government, authority or person outside their territorial jurisdiction if the whole or part of the cause of action arises in their concerned state.

Subject matter

High Courts have been granted a large ambit to exercise this power. A High Court can issue writs not only for the enforcement of Fundamental Rights given in Part III of the Constitution but also non-Fundamental Rights for which the Constitution of India has used the words "for any other purpose" to widen the scope of High Court's Jurisdiction.

2. High court power as to inherent powers.

Linked provision: Section 151 saving of inherent power of court

- This section deals with the saving of inherent powers of Court.
- It states that nothing in this Code shall be deemed to limit or otherwise affect the inherent power of the Court to make such orders as may be necessary for the ends of justice or to prevent abuse of the process of the Court.
- This section does not confer any substantive rights on parties but is meant to get over the difficulties arising from rules of procedure.

Applicability of res judicata on writ proceedings:

The doctrine of res judicata also applies to writ petitions filed under Articles 32 and 226. If this doctrine is not applied to writ petitions, then it would be open to parties to challenge every decided issue through a writ petition, and there would be no end to litigation.

Thus, if any issue has been raised before and decided by the Supreme Court under Article 32, then the same issue cannot be raised by the same parties before the High Court under Article 226. Similarly, if any issue has





been decided by the High Court under Article 226, then a writ petition under Article 32 concerning the same issue and involving the same parties would be barred by the doctrine of res judicata.

However, if any writ petition is dismissed by the High Court on any procedural grounds due to the laches of the parties, then the same would not be sufficient to invoke res judicata, and such a dismissal order would not bar an alternate remedy under Article 32. Similarly, if a petition is dismissed in limine (at the very outset) and no speaking order is made by the court, then such a dismissal would not involve the bar of res judicata.

1. रिट क्षेत्राधिकार के संबंध में उच्च न्यायालय की शक्ति

लिंकिंग प्रावधान: अनुच्छेद 226 कुछ रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति

संविधान के अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार भी प्रदान किया गया है, और इन्हें दो भागों में विभाजित किया जा सकता है:

प्रादेशिक

उच्च न्यायालयों को उस राज्य के क्षेत्र के भीतर रिट जारी करने का अधिकार है जिससे उच्च न्यायालय संबंधित है। अनुच्छेद 226(2) के तहत न्यायालय को कुछ हद तक अतिरिक्त-क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार भी प्रदान किया गया है। उच्च न्यायालयों को अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के बाहर किसी भी सरकार, प्राधिकरण या व्यक्ति को रिट जारी करने की अनुमति है यदि पुरा वाद हेतुक या उसका हिस्सा उनके संबंधित राज्य में उत्पन्न होता है।

विषय - वस्तु

उच्च न्यायालयों को इस शक्ति का प्रयोग करने के लिए एक बड़ा दायरा दिया गया है। एक उच्च न्यायालय न केवल संविधान के भाग III में दिए गए मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए बल्कि गैर-मौलिक अधिकारों को भी लागू करने के लिए रिट जारी कर सकता है, जिसके लिए भारत के संविधान ने उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के दायरे को व्यापक बनाने के लिए "किसी अन्य उद्देश्य के लिए" शब्दों का उपयोग किया है।

2. अंतर्निहित शक्तियों के संबंध में उच्च न्यायालय की शक्ति।

लिंकिंग प्रावधान: धारा 151 न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति की व्यावृत्ति

- यह धारा न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों की व्यावृत्ति से संबंधित है।
- इसमें कहा गया है कि इस संहिता में कुछ भी ऐसे आदेश देने के लिए न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति को सीमित या अन्यथा प्रभावित करने वाला नहीं माना जाएगा जो न्याय के लिए या न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यक हो सकता है।
- यह धारा पक्षकारों को कोई ठोस अधिकार प्रदान नहीं करती है बल्कि इसका उद्देश्य प्रक्रिया के नियमों से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों को दूर करना है।

रिट कार्यवाही पर प्राङ्गन्याय की प्रयोज्यता:

प्राङ्गन्याय का सिद्धांत अनुच्छेद 32 और 226 के तहत दायर रिट याचिकाओं पर भी लागू होता है। यदि यह सिद्धांत रिट याचिकाओं पर लागू नहीं होता है, तो पक्षकारों के लिए रिट याचिका के माध्यम से प्रत्येक निर्णयित मुद्दे को चुनौती देने का विकल्प खुला होगा, और मुकदमेबाजी का कोई अंत नहीं होगा।

इस प्रकार, यदि कोई मुद्दा पहले उठाया गया है और अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय लिया गया है, तो वही मुद्दा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष समान पक्षों द्वारा नहीं उठाया जा सकता है। इसी तरह, यदि कोई मुद्दा उच्च न्यायालय द्वारा तय किया गया है अनुच्छेद 226 के तहत, फिर अनुच्छेद 32 के तहत एक ही मुद्दे से संबंधित और समान पक्षों को शामिल करने वाली रिट याचिका को प्राङ्गन्याय के सिद्धांत द्वारा वर्जित किया जाएगा।

हालाँकि, यदि किसी भी रिट याचिका को पक्षों की आपसी खींचतान के कारण किसी भी प्रक्रियात्मक आधार पर उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया जाता है, तो वह प्राङ्गन्याय को लागू करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी, और इस तरह का बर्खास्तगी आदेश अनुच्छेद 32 के तहत वैकल्पिक उपाय पर रोक नहीं लगाएगा। इसी तरह, यदि कोई याचिका शुरू में ही खारिज कर दी जाती है और न्यायालय द्वारा कोई स्पष्ट आदेश नहीं दिया जाता है, तो ऐसी बर्खास्तगी में प्राङ्गन्याय द्वारा वर्जन शामिल नहीं होगा।

Question 18

[04 Marks]

"All contracts are agreements but all agreements are not contract". Elaborate it.

"सभी संविदा करार हैं लेकिन सभी करार संविदा नहीं हैं"। इसे विस्तृत करें।

Linked provision: Section 2(e): agreement

Section 2(h) contract

Section 10: what agreements are contract

All agreements are not contracts, but all contracts are agreements. This means that while every contract is an agreement, not every agreement meets the legal requirements to be considered a contract. Contracts require certain elements, such as offer, acceptance, consideration, and intention to create legal relations, to be legally enforceable. Agreements that lack these elements may not be considered contracts and may not be legally binding.





Contract Act defines a Contract as "An agreement which is enforceable by Law" [i]. An Agreement is a settlement between two parties, which contains obligations or promises which both parties need to fulfil. When such an agreement is made binding by Law it becomes a Contract. [ii]

For example, if an agreement is not indented to create legal relationship, agreement not made with the free consent of the parties, agreement not made for a lawful object etc. These agreements are not valid contracts. An agreement which does not create legal obligation is also not a contract. Thus all contracts are agreements but all agreements are not contracts.

To Sum it Up:

- Offer + Acceptance = Agreement
- Agreement / Accepted Promise + Enforceable by Law = Contract

Therefore in order for any agreement to become a contract, there has to be present all the essential of a contract.

लिंकिंग प्रावधान: धारा 2(e): करार

धारा 2(h) संविदा

धारा 10: कौन से करार संविदा हैं

सभी करार संविदा नहीं हैं, लेकिन सभी संविदा करार हैं। इसका मतलब यह है कि हालांकि हर संविदा एक करार है, लेकिन हर करार संविदा माने जाने वाली विधिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है। संविदाओं को विधिक रूप से प्रवर्तनीय बनाने के लिए कुछ तत्वों की आवश्यकता होती है, जैसे प्रस्थापक, प्रतिग्रहण, प्रतिफल और विधिक संबंध बनाने का आशय। जिन करार में इन तत्वों का अभाव है, उन्हें संविदा नहीं माना जा सकता है और वे विधिक रूप से बाध्यकारी नहीं हो सकते हैं

संविदा अधिनियम एक संविदा को "एक करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय है" के रूप में परिभाषित करता है [i]। एक करार दो पक्षों के बीच एक करार है, जिसमें दायित्व या वचन शामिल होते हैं जिन्हें दोनों पक्षों को पूरा करना होता है। जब इस तरह के करार को विधि द्वारा बाध्यकारी बना दिया जाता है तो यह एक संविदा बन जाता है। [ii]

उदाहरण के लिए, यदि कोई करार विधिक संबंध बनाने के लिए नहीं किया गया है, करार पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति से नहीं किया गया है, करार किसी वैध उद्देश्य के लिए नहीं किया गया है आदि। ये करार वैध संविदा नहीं हैं। ऐसा करार जो विधिक बाध्यता पैदा नहीं करता वह भी संविदा नहीं है। इस प्रकार सभी संविदा करार हैं लेकिन सभी करार संविदा नहीं हैं।

इसको जोड़कर:

- प्रस्थापक + प्रतिग्रहण = करार
- करार / प्रतिग्रहित वचन + विधि द्वारा प्रवर्तनीय = संविदा

इसलिए किसी भी करार को संविदा बनने के लिए, संविदा के सभी आवश्यक तत्व मौजूद होने चाहिए।

Question 19

[06 Marks]

In this case the plaintiff Mr. A had filed a suit through B, a partner of that firm based on promissory note for recovery of Rs. 68000/-.

इस मामले में वादी श्री A ने 68000/- रुपये की वसूली के लिए वचन पत्र के आधार पर उस फर्म के एक भागीदार B के माध्यम से वाद दायर किया था।

After filing of the written statement was filed, the plaintiff filed an application for amendment of pleading on the ground of inadvertent omission to mention the material fact that the firm had been dissolved before the institution of the suit to enable the court to consider and decide the subject matter of the suit in its true perspective and to meet ends of justice.

लिखित कथन दायर करने के बाद, वादी ने तात्त्विक तथ्य का उल्लेख करने के लिए अनजाने लोप के आधार पर अभिवचन में संशोधन के लिए एक आवेदन दायर किया कि फर्म को वाद संस्थित होने से पहले ही भंग कर दिया गया था ताकि न्यायालय को वाद की विषय वस्तु पर उसके वास्तविक परिप्रेक्ष्य में विचार करने और निर्णय लेने और न्याय के उद्देश्य को पूरा करने में सक्षम बनाया जा सके।

The Trial Court and the High Court refused to allow amendment of pleading on the ground that it would amount to the introduction of a new time barred cause of action. The plaintiff challenged the order before the Supreme Court.

Whether the amendment of the pleadings will arise a new cause of action in the pleading?

विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने इस आधार पर अभिवचन में संशोधन की अनुमति देने से इनकार कर दिया कि यह एक नया समय द्वारा वर्जित वाद हेतुक पेश करने जैसा होगा। वादी ने इस आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी।

क्या अभिवचनों में संशोधन से अभिवचन में एक नया वाद हेतुक उत्पन्न होगा?

Linked provisions: Order 6 rule 17: Amendment of pleadings





- The above facts are taken from the case of M/S ganesh trading co v moji ram (1978 sc)
- This case deals with Order 6 Rule 17 of the Code of Civil Procedure, 1908 (CPC) which talks about the concept of Amendment of pleadings.
- The Court observed that Procedural law is intended to facilitate and not to obstruct the course of substantive justice.
- Provisions relating to pleadings in civil cases are meant to give to each side intimation of the case of the other so that it may enable Courts to determine what is really at issue between parties, and to prevent deviations from the course.
- The Court further observed that, the suit having been instituted by one of the partners of a dissolved firm, the mere specification of the capacity in which the suit was filed could not change the character of the suit or the case.
- The Court further observed that the amended pleading will not make any difference to the rest of the pleadings or to the cause of action.
- Under the aforementioned order the court may at any time allow the parties to amend the pleading unless or until a new cause of action arises from the pleadings.
- The decision to amend the pleadings totally depends upon the discretion of the court.

Conclusion

The Court finally held that the amendment of pleading will not alter the cause of action and the Court allowed the appeal to amend the pleadings and set aside the orders of the Trial Court and the High Court.

लिंगिंग प्रावधान: आदेश 6 नियम 17: अभिवचनों में संशोधन

- उपरोक्त तथ्य एम/एस गणेश ट्रेडिंग कंपनी बनाम मोजी राम (1978 एससी) के मामले से लिए गए हैं।
- यह मामला सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) के आदेश 6 नियम 17 से संबंधित है जो अभिवचनों में संशोधन की अवधारणा के बारे में बात करता है।
- न्यायालय ने कहा कि प्रक्रियात्मक विधि का उद्देश्य वास्तविक न्याय की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना है, न कि उसमें बाधा डालना।
- सिविल मामलों में अभिवचनों से संबंधित प्रावधानों का उद्देश्य प्रत्येक पक्ष को दूसरे के मामले की जानकारी देना है ताकि यह न्यायालयों को यह निर्धारित करने में सक्षम बना सके कि पक्षकारों के बीच वास्तव में क्या मुद्दा है, और कार्यप्रणाली से विचलन को रोका जा सके।
- न्यायालय ने आगे कहा कि, वाद एक विघटित फर्म के भागीदारों में से किसी एक द्वारा दायर किया गया है, केवल उस क्षमता का विवरण जिसमें वाद दायर किया गया था, वाद या मामले के चरित्र को नहीं बदल सकता है।
- न्यायालय ने आगे कहा कि संशोधित अभिवचन से बाकी अभिवचनों या वाद हेतुक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- उपरोक्त आदेश के तहत न्यायालय किसी भी समय पक्षकारों को अभिवचनों में संशोधन करने की अनुमति दे सकता है जब तक कि अभिवचनों से कोई नया वाद हेतुक उत्पन्न न हो जाए।
- अभिवचनों में संशोधन का निर्णय पूर्णतः न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है।

निष्कर्ष

न्यायालय ने अंततः माना कि अभिवचन में संशोधन से वाद हेतुक नहीं बदलेगा और न्यायालय ने अपील को अभिवचन में संशोधन करने की अनुमति दी और विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय के आदेशों को रद्द कर दिया।

"Link the Life with Law"

All Judiciary Exam



Linking Diglot Combo Bare Act

Special Features :

- ☛ Link Provision
- ☛ Illustration Table
- ☛ Amendment Analysis
- ☛ Comparative Analysis (Old & New Law)
- ☛ Linking Classification (BNS Offences)

- ☛ Legal Vocabulary Translation
- ☛ Bracket Presentation
- ☛ Key Words of Section
- ☛ Hard Cover Ribbon
- ☛ Section Switching Table (Old & New Law)



Linking Publications << Paperathon Booklet

For Other Info Please Call

7737746465



Scan this QR Code to
install the Linking App
and get Full PDF of
study material


[Linking Laws](#)
[Linking Laws Tansukh Sir](#)
www.LinkingLaws.com
[Get Subscription Now](#)



Question 20

[10 Marks]

Read the following question carefully and write judgement after framing the necessary charges.

निम्नलिखित का सावधानी से पठन करें तथा आवश्यक आरोप विचरित करके निर्णय लिखें।

The prosecution case is that on 11-6-2010 Shri Rajendra Patel, the father of a student named Ashok Patel submitted his son's marksheet to use it for securing admission in the Medical College. The total marks shown in the marksheet were more than that which the student would have got even if he had secured cent-percent marks, which raised the suspicion of the Admission Scrutiny Committee, headed by Dr. D.S. Tomar. Moreover, the said marksheet purported to have been issued after revaluation, bore the same date and seal as that of the original marksheet. Dr. D.S. Tomar, therefore, lodged an F.I.R. against Shri Rajendra Patel in Shastri Nagar, Police Station, Jodhpur.

अभियोजन का प्रकरण यह है कि दिनांक 11-6-2010 को श्री राजेन्द्र पटेल, जो अशोक पटेल नामक विद्यार्थी के पिता थे, द्वारा अपने पुत्र की कूटरचित मार्कशीट चिकित्सा महाविद्यालय में प्रस्तुत की गई ताकि उनके पुत्र को दाखिला मिल सके। मार्कशीट में दिखाए गए कुल अंकों का योग उस संख्या से भी अधिक था जो किसी विद्यार्थी को शत-प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर योग संख्या होती, जिसके कारण डॉ. डी.एस. तोमर की अध्यक्षता वाली प्रवेश जांच समिति को उक्त मार्कशीट कूटरचित होने का संदेह हुआ। इसके अतिरिक्त, उक्त मार्कशीट जो पुनर्मूल्यांकन के बाद जारी की गई अभिप्रेत थी, पर वहीं दिनांक तथा सील अंकित थी जैसी की मूल मार्कशीट पर थी। अतः डॉ. डी.एस. तोमर ने शास्त्री नगर पुलिस थाना, जोधपुर में श्री राजेन्द्र पटेल के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई।

During investigation, necessary seizure was done. After completion of investigation, the police filed charge-sheet against Shri Rajendra Patel.

प्रकरण के अन्वेषण के दौरान आवश्यक जब्ती की गई तथा अन्वेषण पूर्ण होने के बाद पुलिस ने श्री राजेन्द्र पटेल के विरुद्ध आरोप-पत्र प्रस्तुत किया।

Defence Counsel raised the plea that the accused had not himself forged the marksheet and that he did not know that the marksheet was a forged one. It was also pleaded on his behalf that the alleged forgery had not actually been acted upon and, therefore, he cannot be held guilty of this offence.

बचाव-पक्ष की ओर से यह दलील प्रस्तुत की गई कि अभियुक्त ने स्वयं मार्कशीट की कूटरचना नहीं की थी और वह नहीं जानता था कि मार्कशीट कूटरचित थी। उसकी ओर से यह दलील भी प्रस्तुत की गई कि कथित कूटरचना वास्तव में कार्यरूप में परिणित नहीं होने के कारण उसे इस अपराध का दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

THE COURT OF..... JUDICIAL MAGISTRATE FIRST CLASS, JODHPUR, RAJASTHAN

प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोधपुर, राजस्थान

CIS No.

Criminal Case No.....

Police Station: Shastri Nager

Date of institution.....

State of Chhattisgarh, through SHO,
Police Station: Shastri Nager, Jodhpur,
Rajasthan.

Versus

Rajendra Patel, s/o.....

Age.....

R/o.....

Police Station: Shastri Nager, Jodhpur,

...Prosecution (अभियोजन)

...Accused Person (अभियुक्त व्यक्ति)

CHARGE/ आरोप

I.....Judicial Magistrate First Class, Shastri Nager, Jodhpur, charge you accused person Rajendra Patel S/..... as follows:

मैं..... न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग, शास्त्री नगर जोधपुर, राजस्थान, आप अभियुक्त राजेन्द्र पटेल पुत्र..... को निम्नानुसार आरोपित करता हूँ:

Firstly: That you (accused) on 11-6-2010 at alleged time at Shastri Nager, Jodhpur, dishonestly made the false marksheet which is a valuable security with an intention to support your son's claim for securing admission in Medical College and you thereby committed an offence of forgery of valuable security punishable under section 467 of Indian Penal Code, 1860 and is within the cognizance of this court.





पहला: कि आपने (अभियुक्त) 11-6-2010 को कथित समय पर शास्त्री नगर जोधपुर, राजस्थान में चिकित्सा महाविद्यालय में दाखिला कराने के लिए अपने पुत्र के दावे का समर्थन करने के आशय से मिथ्या मार्कशीट जो एक मूल्यवान प्रतिभूति है, को बेईमानीपूर्वक बनाया और इस तरह आपने भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 467 के तहत मूल्यवान प्रतिभूति की कूटरचना का दंडनीय अपराध किया और यह इस न्यायालय के संज्ञान में है।

Secondly: That you on the above date, time and place committed the forgery of the marksheet with an intention to cheat the Medical College authority so as to secure admission of your son and you thereby committed the offence of forgery with an intention to cheat punishable under section 468 of Indian Penal Code, 1860 and is within in cognizance of this court.

दूसरा: कि आपने उपरोक्त दिनांक, समय और स्थान पर चिकित्सा महाविद्यालय प्राधिकरण के साथ छल करने के आशय से मार्कशीट की कूटरचना की है ताकि आपके पुत्र का दाखिला करा सके और इस तरह आपने भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 468 के तहत छल के प्रयोजन से कूटरचना का अपराध किया है और यह इस न्यायालय के संज्ञान में है।

Thirdly: That you on the alleged date, time and place, dishonestly used the forged marksheet by submitting it to the Medical College authority, knowing the same to be forged and you thereby committed an offence of using forged document as genuine punishable under section 471 of the Indian Penal Code, 1860 and is within cognizance of this court.

तीसरा: कि आपने कथित दिनांक, समय और स्थान पर, कूटरचित मार्कशीट को चिकित्सा महाविद्यालय प्राधिकरण में प्रस्तुत करके बेईमानीपूर्वक उपयोग किया, यह ज्ञात होते हुए कि यह कूटरचित है और इस तरह आपने भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 471 के तहत कूटरचित दस्तावेज को असली के रूप में उपयोग करने का अपराध किया है और यह इस न्यायालय के संज्ञान में है।

Fourthly: That you on the alleged date, time and place deceived the Medical College authority by submitting forged mark sheet and intentionally induced the authority to give admission but was caught by the scrutiny committee and you thereby committed an offence of attempt to cheat punishable under section 420 read with 511 of the Indian Penal Code, 1860 and is within cognizance of this Court.

चौथा: कि आपने कथित दिनांक, समय और स्थान पर कूटरचित मार्कशीट प्रस्तुत करके चिकित्सा महाविद्यालय प्राधिकरण के साथ प्रवंचना की और जानबूझकर प्राधिकरण को दाखिला देने के लिए प्रेरित किया लेकिन जांच समिति द्वारा पकड़ा गया और इस तरह आपने भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 420 सपठित 511 के तहत छल के प्रयास का दंडनीय अपराध किया और यह इस न्यायालय के संज्ञान में है।

And I hereby direct that you accused person be tried by this court for the above framed charges.

और मैं एतद्वारा निर्देश देता हूं कि आप अभियुक्त व्यक्ति पर इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्धारित आरोपों के लिए विचारण किया जाए।

Date:

Place:

Sign and Seal
Judicial Magistrate First Class,
Jodhpur, Rajasthan

Plea of accused/ अभियुक्त की दलील

The charges were read over and explained to the accused to which he pleaded as follows:

आरोपों को अभियुक्त को पढ़कर सुनाया और समझाया गया, जिस पर उसने निम्नानुसार दलील दी:

"I am innocent and I have not committed any offence and I am being falsely implicated. I plead not guilty and claim to be tried."

"मैं निर्दोष हूं और मैंने कोई अपराध नहीं किया है और मुझे झूठा फंसाया जा रहा है। मैं दोषी नहीं होने का अभिवचन करता हूं और विचारण किए जाने का दावा करता हूं।"

Sign of the accused Rajendra Patel

अभियुक्त राजेंद्र पटेल के हस्ताक्षर

Sign and Seal
Judicial Magistrate First Class,
Jodhpur, Rajasthan

THE COURT OF.....JUDICIAL MAGISTRATE FIRST CLASS, JODHPUR, RAJASTHAN

प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोधपुर, राजस्थान
(Presided by.....)/ (पीठासीन न्यायाधीश.....)

CIS No.....
Criminal Case No.
Police Station: Shastri Nager, Jodhpur
Date of institution.....

State of Rajasthan, through SHO,
Police Station- Shastri Nager, Jodhpur, Rajasthan.

...Prosecution (अभियोजन)

Versus

Page - 24



Scan this QR Code to
install the Linking App
and get Full PDF of
study material



Linking Laws
Linking Laws Tansukh Sir
www.LinkingLaws.com
Get Subscription Now

Linking Laws is an institution for
RJS, DJS, MPCJ, UP PCS J,
HCS (JB), GJS, & Other
State Judiciary and Law Exams.



Rajendra Patel, s/o.....

Age.....

R/o.....

Police Station: Shastri Nager, Jodhpur

..Accused Person (अभियुक्त व्यक्ति)

Present counsel:

Shri.....ADPO for the Prosecution

Shri.....Advocate for the Defence

JUDGMENT/ निर्णय

(Pronounced on.....day of.....2015)

- In the present case the accused stands charged under sections 467, 468, 471 and 420 read with 511 of the IPC for having committed an offence of forgery of valuable security i.e., mark sheet with an intent to cheat and for using the forged mark sheet as genuine and for attempting to cheat the medical authority.

वर्तमान प्रकरण में अभियुक्त पर आईपीसी की धारा 467, 468, 471 और 420 के सपठित 511 के तहत मूल्यवान प्रतिभूति की कूटरचना का अपराध करने का आरोप लगाया गया है, यानी छल के आशय से मार्कशीट और कूटरचित मार्कशीट का असली के रूप में उपयोग करने के लिए और चिकित्सा प्राधिकरण के साथ छल का प्रयास करने के लिए।

- It is an undisputed fact in the present case that the accused has submitted the impugned marksheet before the medical authority.

वर्तमान प्रकरण में यह निर्विवाद तथ्य है कि अभियुक्त ने आपत्तिजनक मार्कशीट चिकित्सा प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की है।

- The story of prosecution in nutshell is that accused submitted his son's marksheet for securing his son's admission in the Medical College. The total marks shown in the marksheet were more than that which the student would have got even if he had secured cent- percent marks, which raised the suspicion of the Admission Scrutiny, Committee, headed by Dr. D.S. Tomar. Moreover, the said mark sheet purported to have been issued after revaluation, bore the same date and seal as that of the original mark sheet. Dr. D.S. Tomar, therefore, lodged F.I.R. against Shri Rajendra Patel in Shastri Nager, Police Station, Jodhpur. After completion of Investigation police report was submitted under section 173(2) of Code of Criminal Procedure, 1963 (hereinafter referred as 'Cr.P.C.') upon which cognizance was taken by this court under section 190(1)(b) of Cr.P.C.

अभियोजन पक्ष की कहानी संक्षेप में यह है कि अभियुक्त ने चिकित्सा महाविद्यालय में अपने पुत्र का दाखिला कराने के लिए उसकी मार्कशीट प्रस्तुत की थी। मार्कशीट में दिखाए गए कुल अंकों का योग उस संख्या से भी अधिक था जो किसी विद्यार्थी को शत-प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर योग संख्या होती, जिसके कारण डॉ. डी.एस. तोमर की अध्यक्षता वाली प्रवेश जांच समिति को उक्त मार्कशीट कूटरचित होने का संदेह हुआ। इसके अतिरिक्त, उक्त मार्कशीट जो पुनर्मूल्यांकन के बाद जारी की गई अभिप्रेत थी, पर वहीं दिनांक तथा सील अंकित थी जैसी की मूल मार्कशीट पर थी। अतः डॉ. डी.एस. तोमर ने शास्त्री नगर पुलिस थाना, जोधपुर में श्री राजेन्द्र पटेल के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई। अन्वेषण पूर्ण होने के बाद दंड प्रक्रिया संहिता, 1963 की धारा 173(2) (इसके बाद 'Cr.P.C.' के रूप में संदर्भित) के तहत पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, जिस पर इस न्यायालय द्वारा Cr.P.C की धारा 190(1)(ख) के तहत संज्ञान लिया गया था।

- On charges being read over and explained to accused he pleaded not guilty and in his personal examination under section 313 of Cr.P.C., accused stated that he has not himself forged the mark sheet and he did not know that mark sheet is forged. It was further stated that forgery not has been acted upon and therefore he cannot be held guilty.

आरोपों को अभियुक्त को पढ़कर सुनाने और समझाने पर उसने दोषी नहीं होने का अभिवचन किया और Cr.P.C की धारा 313 के तहत अपने व्यक्तिगत परीक्षण में, अभियुक्त ने कहा कि उसने स्वयं मार्कशीट की कूटरचना नहीं की थी और वह नहीं जानता था कि मार्कशीट कूटरचित थी। यह आगे कहा गया कि कूटरचना वास्तव में कार्यरूप में परिणित नहीं हुई है और उसे इस अपराध का दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

5. POINTS FOR DETERMINATION/ अवधारण के लिए प्रश्न

- Whether on 11-6-2010 at the alleged time and place, accused has committed the forgery of mark sheet which is valuable security?

क्या 11-6-2010 को कथित समय और स्थान पर, अभियुक्त ने मार्कशीट की कूटरचना की है जो मूल्यवान प्रतिभूति है?

- Whether on the above date, time and place, accused has committed the forgery of the mark sheet with an intent to cheat the medical authority to take admission in Medical College?

क्या उपरोक्त दिनांक, समय और स्थान पर, अभियुक्त ने चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश लेने के लिए चिकित्सा प्राधिकरण के साथ छल करने के आशय से मार्कशीट की कूटरचना की है?

- Whether the accused, on the alleged date, time and place, dishonestly used the forged mark sheet with the knowledge that it is a forged document?

क्या अभियुक्त ने कथित दिनांक, समय और स्थान पर कूटरचित मार्कशीट को इस ज्ञान के साथ बेईमानी से इस्तेमाल किया कि यह एक कूटरचित दस्तावेज है?

- Whether the accused, on the alleged date, time and place, deceived the medical authority by submission of forged marksheet and intentionally induced to the authority to give admission to his son but caught by scrutiny committee and committed an offence of attempt to cheating?





क्या अभियुक्त ने कथित दिनांक, समय और स्थान पर कूटरचित मार्कशीट प्रस्तुत करके चिकित्सा प्राधिकरण के साथ प्रवचना की और जानबूझकर प्राधिकरण को अपने पुत्र को प्रवेश देने के लिए प्रेरित किया लेकिन जांच समिति द्वारा पकड़ा गया और छल के प्रयास का अपराध किया?

V. Acquittal or conviction, if any?

दोषमुक्ति या दोषसिद्धि, यदि कोई हो?

REASONS FOR DETERMINATION/ अवधारण के लिए कारण

Point No. (I), (II), (III), (IV) and (V)

6. For avoiding the repetition of evidence and to avoid the overburdening of court records, all the points are being analysed and determined simultaneously. As per section 102 of the Indian Evidence Act, 1872 (hereinafter referred to as 'IEA') the onus of proving these points is on the prosecution. Due to the cardinal principle of criminal jurisprudence viz. the presumption of innocence, the prosecution has to prove the guilt of the accused beyond any reasonable doubt.
साक्ष्यों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए और न्यायिक अभिलेखों के भार से बचने के लिए सभी बिंदुओं का एक साथ विश्लेषण और निर्धारण किया जा रहा है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (इसके बाद 'IEA' के रूप में संदर्भित) की धारा 102 के अनुसार इन बिंदुओं को साबित करने का भार अभियोजन पर है। आपराधिक न्यायशास्त्र के प्रमुख सिद्धांत के कारण अर्थात् निर्दोषता की उपधारणा, अभियोजन पक्ष को किसी भी युक्तियुक्त संदेह से परे अभियुक्त के अपराध को साबित करना होगा।
7. To discharge this burden prosecution has first examined the informant doctor D.S. Tomar as PW1 who deposed that accused submitted the forged marksheet of his son to secure his admission in Medical College. This fact is relevant under Section 8 of IEA as showing the motive to commit the alleged offence of forgery. PW1 further deposed that the said marksheet purporting to have been issued after revaluation is bearing the same date and seal as that of the original. This fact is relevant under section 9 of IEA as supporting the inference suggested by the fact in issue. So, he lodged an FIR (Ex.P-1) against the accused. This fact is relevant under section 8 as the subsequent conduct of the victim influenced by the fact in issue. This much testimony of PW1 stands corroborated by FIR (Ex.P-1) as per section 157 of the IEA. PW1 was cross-examined but remained un rebutted.
इस भार का निर्वहन करने के लिए अभियोजन पक्ष ने सबसे पहले पी डब्ल्यू-1 के रूप में मुखबिर डॉक्टर डी.एस. तोमर का परीक्षण किया, जिसने गवाही दी कि अभियुक्त ने चिकित्सा महाविद्यालय में अपने पुत्र का दाखिला कराने के लिए कूटरचित मार्कशीट प्रस्तुत की थी। यह तथ्य IEA की धारा 8 के तहत कथित कूटरचना के अपराध को करने के हेतु को दर्शाने के रूप में सुसंगत है। पी डब्ल्यू-1 ने आगे कहा कि पुनर्मूल्यांकन के बाद जारी की गई उक्त मार्कशीट पर मूल के समान दिनांक और सील अंकित है। यह तथ्य IEA की धारा 9 के तहत सुसंगत है क्योंकि विवादक तथ्य द्वारा इंगित अनुमान का समर्थन करता है। इसलिए, उसने अभियुक्त के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी -1) दर्ज कराई। यह तथ्य धारा 8 के तहत सुसंगत है क्योंकि पीड़ित का पश्चात् का आचरण विवादक तथ्य के असर में है। पी डब्ल्यू-1 की इतनी गवाही प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी -1) द्वारा IEA की धारा 157 के तहत संपुष्ट होती है। पी डब्ल्यू-1 की प्रति-परीक्षा की गई थी लेकिन वह अखंडनीय रहा।
8. After this the investigation officer was examined as PW2 who deposed in his examination in chief that PW1 lodged the FIR. This gives credibility to the testimony of PW1. He further deposed that during investigation necessary items were seized and seizure memo (Ex.P-2) was prepared. PW2 was cross examined but remained un rebutted.
इसके बाद अन्वेषण अधिकारी का पी डब्ल्यू-2 के रूप में परीक्षण किया गया, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में बताया कि पी डब्ल्यू-1 ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी। यह पी डब्ल्यू-1 की गवाही को विश्वसनीयता प्रदान करता है। उसने आगे कहा कि अन्वेषण के दौरान आवश्यक वस्तुओं को जब्त कर लिया गया था और जब्ती ज्ञापन (प्रदर्श पी -2) तैयार किया गया था। पी डब्ल्यू-2 की प्रति-परीक्षा की गई लेकिन अखंडनीय रहा।
9. After closure of the prosecution evidence the accused was personally examined under section 313 Cr.P.C., during which he stated that he had not forged the mark sheet. However, this plea was not substantiated by any other independent evidence and Ex.P-2 clearly indicates that accused has connection with the alleged forgery. He also pleaded that he did not know that it was a forged mark sheet. This plea is not acceptable as the mark sheet which bears more than cent percent marks and marksheet purporting to have been issued after revaluation having the same date and seal as that of the original, on its very face manifests that it is a forged one or some tempering has been done with that document. So, Court may under section 114 of IEA draw the presumption of knowledge of forgery to the accused on the basis of normal human conduct and it is very much manifest and evident on the face of the document.
अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को बंद करने के बाद अभियुक्त का व्यक्तिगत रूप से धारा 313 Cr.P.C. के तहत परीक्षण किया गया, जिसमें उसने कहा कि उसने मार्कशीट में कूटरचना नहीं की है। हालाँकि, इस दलील की पुष्टि किसी अन्य स्वतंत्र साक्ष्य द्वारा नहीं की गई थी और प्रदर्श पी -2 स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि अभियुक्त का कथित कूटरचना से संबंध है। उन्होंने यह भी दलील दी कि उन्हें नहीं पता था कि यह कूटरचित मार्कशीट थी। यह दलील स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मार्कशीट जो शत प्रतिशत से अधिक अंकों की है और मार्कशीट को पुनर्मूल्यांकन के बाद मूल के समान दिनांक और सील के साथ जारी किया गया है, देखते ही यह प्रकट होता है कि यह कूटरचित है या उस दस्तावेज से कुछ छेड़छाड़ की गई है। इसलिए न्यायालय IEA की धारा 114 के तहत सामान्य मानवीय आचरण के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध कूटरचना के ज्ञान का अनुमान लगा सकता है और यह दस्तावेज़ देखते ही बहुत प्रकटीय और स्पष्ट है।
10. Accused further pleaded that as the forgery has not been actually Can acted upon, so he cannot be held guilty. However, the fact of submission of marksheet is not in dispute and it is an admitted fact and hence need not be proved according to mandate of section 58 of IEA. For the purpose of offence of using the forged document, only the





submission of documents is sufficient actus reus. With respect to the offence of cheating, when he submitted the document he had already completed its preparation and the platform for the commission of offence was created and after that he was in the stage of attempt but due to suspicion of scrutiny committee he was not given the admission and the offence of cheating remained incomplete, therefore it was an attempt to cheat the medical authority.

अभियुक्त ने आगे अभिवचन किया कि चूंकि जालसाजी वास्तव में कार्यरूप में परिणित नहीं हुई है तो उसे इस अपराध का दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। हालांकि, मार्कशीट जमा करने का तथ्य विवादक नहीं है और यह एक ग्राह्य तथ्य है और इसलिए IEA की धारा 58 के जनादेश के अनुसार इसे साबित करने की आवश्यकता नहीं है। कूटरचित दस्तावेज़ का उपयोग करने के अपराध के प्रयोजन के लिए, केवल दस्तावेज़ प्रस्तुत करना ही पर्याप्त कार्य है। छल के अपराध के संबंध में, जब उसने दस्तावेज़ प्रस्तुत किया तो उसने पहले ही इसकी तैयारी पूरी कर ली थी और अपराध करने के लिए मंच बनाया गया था और उसके बाद वह प्रयास के चरण में था लेकिन जांच समिति के संदेह के कारण उसे दाखिला नहीं दिया गया और छल का अपराध अधूरा रह गया, इसलिए यह चिकित्सा अधिकारी के साथ छल करने का प्रयास था।

11. On the perusal of the evidence as produced by the parties and the relevant facts duly proved by prosecution this court is of considered view that on the basis of unrebutted oral evidence of PW1 it is very much clear that it was only the accused who submitted the marksheet. Also, from the documentary evidence i.e., seizure memo (Ex.P-2) it is clear that a number of necessary things were seized from the accused. As the accused has failed to give any explanation about the seizure so the Court may presume under section 114 of IEA that accused has used those things to commit forgery of the mark sheet.

पक्षकारों द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों और अभियोजन पक्ष द्वारा सम्यक् रूप से साबित किए गए सुसंगत तथ्यों के अवलोकन पर, इस न्यायालय का विचार है कि पी डब्ल्यू-1 के अखंडनीय मौखिक साक्ष्य के आधार पर यह बहुत स्पष्ट है कि यह केवल अभियुक्त था जिसने मार्कशीट प्रस्तुत की थी। साथ ही दस्तावेजी साक्ष्यों अर्थात् जब्ती ज्ञापन (प्रदर्श पी -2) से यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्त के पास से कई आवश्यक वस्तुएं जब्त की गई थीं। चूंकि अभियुक्त जब्ती के बारे में कोई स्पष्टीकरण देने में विफल रहा है, इसलिए न्यायालय IEA की धारा 114 के तहत यह उपधारणा कर सकता है कि अभियुक्त ने मार्कशीट की कूटरचना करने के लिए उन चीजों का उपयोग किया है।

12. According to Section 24 of IPC anything done with an intention to have wrongful gain or to do wrongful loss to other is said to be done dishonestly. In the present factual matrix the fact of attempting to take admission without proper qualification is a wrongful gain as it is something to which the accused's son was not legally entitled and therefore this fact is relevant under section 14 of Indian Evidence Act as showing the existence of ill-will. Hence, the required mens rea for the offence of forgery is proved. So there is clearly a concurrence of mens rea and actus reus for the offence of forgery, dishonestly making of false marksheet which is a valuable security as per section 30 of IPC as it is a document which creates a legal right to take admission. Also, it stands proved that the false marksheet was made with an intent to cheat the medical authority by submitting it before that authority to secure admission. Therefore, the offence under section 467, 468 and 471 are proved.

IPC की धारा 24 के अनुसार सद्दोष अभिलाभ या सद्दोष हानि पहुंचाने के आशय से किया गया कोई भी कार्य बेईमानी से किया गया कहा जाता है। वर्तमान तथ्यात्मक मैट्रिक्स में उचित योग्यता के बिना दाखिला लेने का प्रयास करना सद्दोष अभिलाभ है क्योंकि यह कुछ ऐसा है जिसके लिए अभियुक्त का पुत्र विधिक रूप से हकदार नहीं था और इसलिए यह तथ्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 14 के तहत सुसंगत है क्योंकि यह वैमनस्य के अस्तित्व को दर्शाता है। इसलिए, कूटरचना के अपराध के लिए आवश्यक मनःस्थिति साबित होती है। अतः स्पष्ट रूप से कूटरचना, बेईमानी से झूठी मार्कशीट बनाने के अपराध के लिए मनःस्थिति और कृत्य की सहमति है जो IPC की धारा 30 के अनुसार एक मूल्यवान प्रतिभूति है क्योंकि यह एक दस्तावेज़ है जो दाखिला लेने का विधिक अधिकार बनाता है। साथ ही, यह भी साबित होता है कि दाखिला कराने के लिए उस प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करके चिकित्सा प्राधिकरण के साथ छल करने के आशय से कूटरचित मार्कशीट बनाई गई थी। अतः, धारा 467, 468 एवं 471 के तहत अपराध साबित होता है।

13. Also, when accused has submitted the forged document before authority it amounts to deceiving the authority and the above proved intentions clearly shows that accused had tried to induce that authority to give admission but the accused failed to secure admission of his son due to suspicion of the scrutiny committee. So, the offence of attempt to cheat under section 420 and read with 511 is also proved. Therefore, this court can safely conclude that the prosecution has proved its case beyond reasonable doubt which remained unrebutted by accused. Hence, accused is held guilty and By convicted under section 467, 468, 471 and 420 read with 511 of IPC.

साथ ही, जब अभियुक्त ने प्राधिकारी के समक्ष कूटरचित दस्तावेज़ प्रस्तुत किया तो यह प्राधिकरण के साथ प्रवंचना करने के बराबर है और उपरोक्त सिद्ध आशय स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि अभियुक्त ने उस प्राधिकार को दाखिला देने के लिए उत्प्रेरित करने का प्रयास किया था लेकिन जांच समिति के संदेह के कारण अभियुक्त अपने पुत्र का दाखिला कराने में विफल रहा। अतः, धारा 420 एवं 511 के सपठित छल के प्रयास का अपराध भी साबित होता है। इसलिए, यह न्यायालय सुरक्षित रूप से यह निष्कर्ष निकाल सकती है कि अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित कर दिया है जो अभियुक्तों द्वारा अखंडनीय रहा। इसलिए, अभियुक्त को IPC की धारा 467, 468, 471 और 420 सपठित 511 के तहत दोषी ठहराया जाता है और दोषसिद्धि की जाती है।

14. The pronouncement of judgment is temporarily suspended to hear the accused on the question of sentence as per section 248(2) of Cr.P.C.

Cr.P.C की धारा 248(2) के अनुसार सजा के प्रश्न पर अभियुक्त को सुनने के लिए निर्णय की घोषणा को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है।

Rehearing/ पुनः सुनवाई

15. The prosecution and the defence side were heard on the question of sentence while the prosecution prayed for strict punishment the accused prayed for leniency. Keeping in view the grave nature of the offence this court does not





consider this case to be a proper case to exercise its discretion to grant the benefit of probation to the accused under section 360 of CrPC or section 3, 4 and 6 of the Probation of Offenders Act. This is because the offences like this are a mockery of state machinery and affects the value of education in our country. Hence keeping in view all the relevant facts and circumstances this court passes the following sentence:

सजा के प्रश्न पर अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष को सुना गया जबकि अभियोजन पक्ष ने सख्त सजा की प्रार्थना की और अभियुक्त ने नरमी बरतने की प्रार्थना की। अपराध की गंभीर प्रकृति को ध्यान में रखते हुए यह न्यायालय इस मामले को Cr.P.C. की धारा 360 या अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3, 4 और 6 के तहत अभियुक्त को परिवीक्षा का लाभ देने के लिए अपने विवेक का प्रयोग करने के लिए उचित मामला नहीं मानती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस तरह के अपराध राज्य तंत्र का मजाक हैं और हमारे देश में शिक्षा के मूल्य को प्रभावित करते हैं। इसलिए सभी सुसंगत तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह न्यायालय निम्नलिखित सजा सुनाती है:

Sr. No.	Name of the Accused / अभियुक्त का नाम	Convicted under sec. (IPC) / दोषसिद्धि धारा (IPC)	Imprisonment/ कारावास	Fine/ जुर्माना	Imprisonment in lieu of fine/ जुर्माने के स्थान पर कारावास
1	Rajender Patel	467	2 year (simple imprisonment)	2000	3 month (simple imprisonment)
2	Rajender Patel	468	1 year (simple imprisonment)	1000	1 months (simple imprisonment)
3	Rajender Patel	471/467	1 year (simple imprisonment)	1000	1 month (simple imprisonment)
4	Rajender Patel	420/511	2 year (simple imprisonment)	2000	3 months (simple imprisonment)

- As per section 31 of Cr.P.C, punishment for all the offences shall run concurrently.
Cr.P.C की धारा 31 के अनुसार, सभी अपराधों के लिए सजा साथ-साथ भोगी जायेगी।
- The imprisonment in lieu of fine shall be undergone by the accused to person after undergoing the substantive period of sentence as per section 30(2) of Cr.P.C.
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 30(2) के अनुसार सजा की मूल अवधि भोगने के बाद अभियुक्त व्यक्ति को जुर्माने के एवज में कारावास भुगतना होगा।
- Statement under section 428 of Cr.P.C be prepared to set off the imprisonment undergone during investigation, inquiry and trial against the sentence awarded to the accused person.
Cr.P.C की धारा 428 के तहत अभियुक्त द्वारा अन्वेषण, जांच और विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि के कारावास के दण्डादेश के विरुद्ध मुजरा किए जाने के लिए कथन तैयार किया जाना चाहिए।
- The bail bonds of the accused stands discharged and he be taken into custody so as to serve awarded sentence.
अभियुक्त के जमानत बन्धपत्र समाप्त हो जाएंगे और उसे अभिरक्षा में ले लिया जाता है ताकि सजा भोग सके।
- The accused person shall execute bail bond with sureties under section 437A of Cr.P.C to ensure their presence in the appellate court. It shall remain valid for 6 months.
अभियुक्त व्यक्ति अपीलीय न्यायालय में अपनी उपस्थिति उपसंजात करने के लिए Cr.P.C की धारा 437क के तहत प्रतिभुओं सहित जमानत बन्धपत्र निष्पादित करेगा। यह 6 महीने तक वैध रहेगा।
- According to section 452 of Cr.P.C., the seized items which are in custody of police to be disposed off accordingly and will be subject to decision of appellate court.
Cr.P.C की धारा 452 के अनुसार, जब्त की गई वस्तुएं जो पुलिस अभिरक्षा में हैं, तदनुसार व्ययन की जानी चाहिए और अपीलीय न्यायालय के निर्णय के अधीन होगा।
- Copy of the judgment shall be given to the accused free of cost as per section 363 of Cr.P.C.
Cr.P.C की धारा 363 के अनुसार अभियुक्त को निर्णय की प्रति निःशुल्क दी जाएगी।

Sign
Judicial Magistrate First Class,
Jodhpur, Rajasthan

This judgment is being dated, signed and pronounced an open court.
यह निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित और सुनाया गया है।

Sign
Judicial Magistrate First Class, in Jodhpur, Rajasthan



LINKING PUBLICATION

PRICE LIST



**All Major Laws
LINKING Charts**
Set of 5 Charts
MRP - 879/- Rs.



**Criminal
Major Laws
LINKING Charts**
Set of 2 Charts
MRP - 413/- Rs.



**Alpha Minor
Amendment
LINKING Charts**
Set of 5 Charts
MRP - 978/- Rs.



**Criminal
Major Laws
LINKING Bare Act**
MRP - 494/- Rs.



**Criminal
Major Laws
LINKING Bare Act**
MRP - 395/- Rs.



**AIBE
Paperathon
Booklet**
MRP - 318/- Rs.



**AIBE
Paperathon
Booklet**
MRP - 318/- Rs.



**Punjab (Judiciary)
Paperathon
Booklet**
MRP - 274/- Rs.



**Himachal Pradesh
Paperathon
Booklet**
MRP - 307/- Rs.



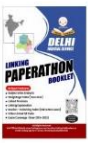
**Odisha
Paperathon
Booklet**
MRP - 274/- Rs.



**Gujarat
Paperathon
Booklet**
MRP - 263/- Rs.



**Haryana
Paperathon
Booklet**
MRP - 241/- Rs.



**Delhi (DJS)
Paperathon
Booklet**
MRP - 325/- Rs.



**Rajasthan (APO)
Paperathon
Booklet**
MRP - 296/- Rs.



**Rajasthan (JLO)
Paperathon
Booklet**
MRP - 362/- Rs.



**Rajasthan (RJS)
Paperathon
Booklet**
MRP - 318/- Rs.



**Maharashtra
Paperathon
Booklet**
MRP - 285/- Rs.



**Bihar
Paperathon
Booklet**
MRP - 351/- Rs.



**Uttarakhand
Paperathon
Booklet**
MRP - 274/- Rs.



**Jharkhand
Paperathon
Booklet**
MRP - 208/- Rs.



**Uttar Pradesh (APO)
Paperathon
Booklet**
MRP - 219/- Rs.



**Uttar Pradesh (J)
Paperathon
Booklet**
MRP - 307/- Rs.



**MPCJ
Paperathon
Booklet**
MRP - 406/- Rs.



**Chhattisgarh
Paperathon
Booklet**
MRP - 428/- Rs.



Linking Publication
(E-PDF) is now available at
LINKING APP



Tansukh Paliwal
[CA, LL.M, Ex.Govt. Officer]
Founder of Linking Laws

Scan QR Code to Place
Order for
Linking Publications
or visit
www.LinkingLaws.com